म.प्र. विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, 'ए' ब्लाक, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

याचिका क्रमांक 114 / 2006

उपस्थित :

डी. रायबर्धन, सदस्य

आर.नटराजन, सदस्य

विषय : बहुवर्षीय टैरिफ पद्धति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष – 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष – 09 हेतु पारेषण टैरिफ के सत्यापन संबंधी आवेदन की प्रस्तुति ।

एमपीपीटीसीएल (याचिकाकर्ता) का अन्यों के साथ, निम्न द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

1. श्री वी.के. कश्यप, संयुक्त सचिव

2. श्री आलोक सिंह, संयुक्त संचालक (वित्त)

3. श्री विसेंट डिसूजा, कार्यपालन यंत्री

4. श्री अनुराग यादव, (अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री)

: आदेश :

(आज दिनांक 1 मार्च, 2007 को पारित किया गया)

:———:

1. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे इसके आगे ''आयोग'' अथवा ''मप्रविनिआ'' उल्लिखित किया गया है द्वारा आवेदक, हस्तक्षेपकर्ताओं, उपभोक्ताओं, विभिन्न उपभोक्ता समूहों के उपभोक्ता–प्रतिनिधियों की भोपाल में दिनांक 22 जनवरी, 2007 को सुनवाई करने के उपरान्त; माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2006 में मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके आगे ''एमपीपीटीसीएल'' अथवा ''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी'' उल्लिखित किया गया है) के अधिकारियों के साथ माह नवम्बर एवं दिसम्बर, 2006 में औपचारिक वार्तालाप करने के उपरान्त; राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से दिनांक 17 जनवरी, 2007 को बैठक उपरांत; रिकार्ड में उपलब्ध अभिलेखों पर विचार किये जाने के उपरांत तथा मध्यप्रदेश शासन (ऊर्जा विभाग) द्वारा दिनांक 31 मई, 2005 को जारी आदेश जिसमें दिनांक 1 जून, 2005 (आदेश क्रमांक 3679/एफआरएस/18/13/2002 दिनांक 31.5.2005) से प्रभावशील अन्तरण योजना नियम (ट्रांसफर स्कीम रूल्स) दिनांक 3 जून, 2006 को अधिसूचित किये गये हैं तथा जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अन्तरण योजना नियम, 2006 (मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रिफार्मस ट्रांसफर स्कीम रूल्स, 2006) अधिसूचित किये गये हैं तथा दिनांक 18 अक्टूबर, 2006 को उपलब्ध उत्पादन क्षमता का राज्य की तीन वितरण कंपनियों के मध्य पुर्नावंटन किया गया है, एतद् द्वारा आवेदनों को संशोधनों, शर्तों तथा निर्देशों द्वारा जैसा कि ये यहां पर संलग्न किये गये हैं, स्वीकार करता है ।

2. आयोग द्वारा राज्य के पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई याचिका का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है । आयोग द्वारा इस तथ्य टीप की गई है कि राज्य शासन द्वारा आज दिनांक तक अन्तिम आय–व्यय विवरण–पत्र (बैलेंस शीट) जारी नहीं किया गया है, अर्थात् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये प्राक्कलन का आधार अभी तक प्रावधिक ही है । आयोग के वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु उसके पारेषण टैरिफ आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 07 हेतु आयोग द्वारा अवधारित पारेषण प्रभार, म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (बेलेंस शीट) दिनांक 31 मई, 2006 से पूर्व किये गये परिवर्तनों, यदि वे लागू हों, अथवा दिनांक 01 जून, 2005 की स्थिति में अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के उपलब्ध होने के अध्यधीन होंगे । चूंकि अवमूल्यन, ब्याज एवं प्रचालन तथा संधारण व्यय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण के आधार पर अनुज्ञेय किये गये हैं, अतः वास्तविक पूंजीकरण तथा वास्तविक प्राप्त किये गये ऋणों तथा वास्तविक प्रगति पर आधारित तथा अवधारित टैरिफ दर की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता होगी जिसकी वित्तीय वर्ष 08 हेतु, टैरिफ के अवधारण के समय समीक्षा की जावेगी । आयोग के पास यह विश्वास करने के कारण विद्यमान थे कि वित्तीय वर्ष 08 की सत्यापन याचिका की समीक्षा करते समय तथा टैरिफ का अवधारण करते समय, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र उपलब्ध रहेगा । इसके अतिरिक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वर्तमान याचिका, जैसा कि इसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर किया गया है, वित्तीय वर्ष 06 के कच्चे चिट्ठे (ट्रायल बैलेंस) पर आधारित है । याचिका का सूक्ष्म परीक्षण

करते समय, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखे के विवरण–पत्र यथोचित वैधानिक अंकेक्षक से अंकेक्षित करा, महालेखाकार को उसके प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किये गये हैं । आयोग द्वारा पूर्व में ही उसके आदेश दिनांक 13 मार्च, 2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 का पारेषण टैरिफ अवधारित किया जा चुका है । चूंकि लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र उपलब्ध हैं, अतः आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापन किये जाने संबंधी अभ्यास तथा इसके निष्कर्षों के प्रभाव को वित्तीय वर्ष 08 के पारेषण टैरिफ पर लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है । आयोग द्वारा अपने वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 के पारेषण टैरिफ संबंधी आदेश दिनांक 13.3.2006 द्वारा अवधारित मानदण्डों तथा टैरिफ के सत्यापन के संबंध में; आयोग ने अनियंत्रण–योग्य कारकों संबंधी उनके दावे को टैरिफ अवधियों बाबत उनके अंकेक्षित लेखे के विवरण–पत्रों को उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही, उस पर विचार करने का निर्णय लिया है । आयोग के वर्तमान आदेश में, आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है तथा आदेश दिनांक 13.3.2006 को उसके द्वारा अवधारित टैरिफ दर को जारी रखने का फैसला लिया है ।

3. याचिकाकर्ता द्वारा मप्रविनिआ (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु सात (7) दिवस की सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए त्वरित कदम उठाये जावें तथा वह आयोग को इस आदेश का क्रियान्वयन किये जाने के समर्थन में जानकारी प्रस्तुत करे । आयोग इस आदेश द्वारा अवधारित पारेषण प्रभारों पर विचार, वित्तीय वर्ष 08 हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की राजस्व आवश्यकता बाबत् करेगा । ये दरें दिनांक 31.03.2008 तक लागू रहेंगी ।

4. उपरोक्तानुसार पठन तथा विस्तृत कारण एवं आधार के अनुसार आदेश जारी किये गये ।

हस्ताक्षरित/–
(आर. नटराजन)
सदस्य (इकोनॉमिक्स)

हस्ताक्षरित/–
(डी. रायबर्धन)
सदस्य (अभियांत्रिकी)

दिनांक : 01 मार्च, 2007

स्थान : भोपाल

वित्तीय वर्ष 08 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश

अनुक्रमणिका

अध्याय 1 1
आदेश की पृष्ठभूमि 1
भूमिका 1
प्रक्रियात्मक इतिहास 1
सार्वजनिक सुनवाई तथा राज्य सलाहकार समिति से परामर्श 9
अध्याय 2 10
पारेषण कंपनी की प्रस्थिति (स्टेटस) 10
अध्याय 3 13
अ. – राज्यीय पारेषण प्रणाली एवं पारेषण प्रणाली की क्षमता 13
ब. – राज्य पारेषण प्रणाली द्वारा निष्पादन 17
अध्याय 4 24
पारेषण लागत 24
अ. भूमिका 24
ब. वार्षिक स्थाई प्रभार 24
स. वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन 26
(ए) प्रचालन एवं संधारण (ओ एण्ड एम) व्यय 26
(बी) टर्मिनल प्रसुविधाएं 28
(सी) अवमूल्यन 30
(डी) ब्याज एवं वित्त प्रभार 32
(i) ऋणों पर ब्याज 32
(ii) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज 36
(iii) आयोग द्वारा विश्लेषण 37
(ई) पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ 38
(एफ) कर शुल्क एवं अन्य 40
(जी) गैर–टैरिफ आय 40
(एच) प्रोत्साहन एवं अर्थदण्ड 41
(आई) वार्षिक पारेषण प्रभार 41
(जे) वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ तथा मानदण्डों का पुनरीक्षण 42
(के) दीर्घ–अवधि तथा लघु–अवधि हितग्राहियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार 44

अध्याय 5 46
भाग अ – आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन की अद्यतन स्थिति 46
भाग ब – आयोग द्वारा इस आदेश द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश 57
तालिकाओं की सूची :
तालिका – 1 : पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका 8
तालिका – 2 : एमपीपीटीसीएल का प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र 10
तालिका – 3 : आयोग के आदेश में वित्तीय वर्ष 06 हेतु कोष का स्त्रोत–वार उपयोग 12
तालिका – 4 : राज्य की पारेषण प्रणाली 13
तालिका – 5 : औसत पारेषण क्षमता, जैसी कि आयोग द्वारा अवधारित की गई 13
तालिका – 6 : वितरण कंपनियों के मध्य पारेषण प्रणाली क्षमता का आवंटन (प्रतिशत में) 14
तालिका – 7 : वितरण कंपनियों के मध्य पारेषण प्रणाली क्षमता का आवंटन (मेगावाट में) 14
तालिका – 8 : पुनरीक्षित पारेषण प्रणाली क्षमता का अवधारण 15
तालिका – 9 : पुनरीक्षित पारेषण प्रणाली क्षमता का आवंटन (मेगावाट में) 16
तालिका – 10 : वार्षिक पारेषण हानियां 17

तालिका – 11 : पारेषण प्रणाली में वोल्टेज–वार हानियां 18
तालिका – 12 : पारेषण प्रणाली में हुए वोल्टेज–वार हुए व्याधात (Interruptions) 19
तालिका – 13 : त्रैमास–वार पारेषण प्रणाली उपलब्धता 19
तालिका – 14 : ट्रांसफार्मरों की असफलता दर 20
तालिका – 15 : अर्न्तमुख (इन्टरफेस) बिन्दु 21
तालिका – 16 : विद्युत दुर्घटनाएं 21
तालिका – 17 : वर्ष–वार वित्तीय आवश्यकता 22
तालिका – 18 : वर्ष–वार वित्तीय गठबन्धन 22
तालिका – 19 : गठबंधित वित्त की स्थिति 22
तालिका – 20 : अनुमोदित पारेषण वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं (ए.आर.आर.) (करोड़ रूपये में) 24
तालिका – 21 : पारेषण संबंधी वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं, सत्यापन सहित (करोड़ रूपये में) 25
तालिका – 22 : प्रचालन एवं संधारण व्यय (करोड़ रूपये में) 27
तालिका – 23 : वित्तीय वर्ष 06 हेत सत्यापित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय (करोड़ रूपये में) ... 28
तालिका – 24 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित की गई टर्मिनल प्रसुविधाएं (करोड़ रूपये में) 29
तालिका – 25 : दिनांक 31.05.2005 को स्थाई परिसम्पत्तियों की अद्यतन स्थिति (करोड़ रूपये में) 30
तालिका – 26 : दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में स्थाई परिसम्पत्तियों का वियोजन (ब्रेक–अप) (करोड़ रूपये में) 30
तालिका – 27 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु परिसम्पत्ति पूंजीकरण (करोड़ रूपये में) 31
तालिका – 28 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित की गई अवमूल्यन राशि (करोड़ रूपये में) 32
तालिका – 29 : आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया शुद्ध ब्याज (करोड़ रूपये में) 32
तालिका – 30 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु आयोग के आदेश में कोष का स्त्रोतवार उपयोग (करोड़ रूपये में). 33
तालिका – 31 : मप्रराविमं के ऋण का कंपनी–वार आवंटन 33
तालिका – 32 : एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्माणाधीन मुख्य कार्यों (सीडब्लूआईपी) के आवंटन का विवरण (करोड़ रूपये में) 34
तालिका – 33 : एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्माणाधीन मुख्य कार्यों (पुनरीक्षित) का विवरण (करोड़ रूपये में) 34
तालिका – 34 : अनुमोदित किया गया ब्याज बनाम अंकेक्षित लेखे के अनुसार उक्त राशि (करोड़ रूपये में) 35
तालिका – 35 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई कार्यकारी पूंजी तथा ब्याज राशि (करोड़ रूपये में) .. 36
तालिका – 36 : एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रस्तावित ब्याज का दायित्व (करोड़ रूपये में) 36
तालिका – 37 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित किया गया ब्याज का दायित्व (करोड़ रूपये में) 38
तालिका – 38 : पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये में) 39
तालिका – 39 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित की गई पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये में) 40
तालिका – 40 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु अंकेक्षित लेखे के अनुसार गैर–टैरिफ आय (लाख रूपये में) 40
तालिका – 41 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन (करोड़ रूपये में) 41
तालिका – 42 : सत्यापित किये गये पारेषण प्रभारों की वसूली (वित्तीय वर्ष 06) (करोड़ रूपये में) 42
तालिका – 43 : वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 की अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में) 43
तालिका – 44 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु दर्ज की गई पुनरीक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में) 43
तालिका – 45 : वार्षिक पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में) 44
तालिका – 46 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु प्रयोज्य पारेषण प्रभार 44
तालिका – 47 : वित्तीय वर्ष 08 के दौरान वसूली योग्य कुल पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में) 45

अध्याय – 1

आदेश की पृष्ठभूमि

भूमिका

1.1 यह आदेश मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद ''एमपीपीटीसीएल'' अथवा ''पारेषण अनुज्ञप्तिधारी'' कहा जावेगा) द्वारा दायर की गई याचिका क्रमांक 114, वर्ष 2006 से संबंधित है, जिसके अन्तर्गत बहुवर्षीय टैरिफ पद्धति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–06 एवं वित्तीय वर्ष–07 से वित्तीय वर्ष–09 के पारेषण टैरिफ को सत्यापित किया जाना है । एमपीपीटीएल, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (जिसे इसके बाद ''मप्रराविमं'' अथवा ''मण्डल'' कहा जावेगा) के पूर्व में स्वामित्व वाले पारेषण नेटवर्क का वर्तमान में स्वामी है । एमपीपीटीसीएल द्वारा दिनांक 1 जून, 2005 से स्वतंत्र रूप से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 के लिये भी पारेषण टैरिफ के अवधारण को पारित करते समय, आयोग ने विस्तृत रूप से प्रचालन तथा वित्त संबंधी आंकड़ों का परीक्षण किया है, जिस समय ये कृत्य मप्रराविमं का एक भाग थे । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारित आदेश पूर्व के अभिलेखों, एमपीपीटीसीएल की प्रस्तुतियों तथा हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों पर आधारित था। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारित आदेश बहु–वर्षीय सिद्धान्तों, अर्थात्, आयोग द्वारा बहु–वर्षीय टैरिफ पद्धति हेतु दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 को अधिसूचित, ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005'' तथा अधिस्थापित किये गये अनुपालन मानदण्डों, पर आधारित थे । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु अवधारित किये गये पारेषण टैरिफ आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 07 हेतु आयोग द्वारा अवधारित पारेषण प्रभार म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (बैंलेंस शीट) दिनांक 31 मई, 2006 से पूर्व किये गये परिवर्तनों, यदि वे लागू हों, अथवा दिनांक 01.06.2005 की स्थिति में प्राप्त किये गये अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र उपलब्ध होने के अध्यधीन होंगे । चूंकि अवमूल्यन, ब्याज तथा प्रचालन एवं संधारण व्यय अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तुतियों के आधार पर अनुज्ञेय किये गये हैं, अतः जिस समय वित्तीय वर्ष 08 के टैरिफ की समीक्षा की जावेगी, वास्तविक पूंजीकरण, वास्तविक रूप से उपयोग किये गये ऋणों तथा प्राप्त की गई भौतिक प्रगति पर आधारित तथा अवधारित टैरिफ दर की समीक्षा किया जाना आवश्यक होगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण टैरिफ के सत्यापन संबंधी उसके प्रस्ताव, आयोग द्वारा इस संबंध में उसके द्वारा जारी विनियमों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने थे ।

प्रक्रियात्मक इतिहास

1.2 वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु उसके पारेषण टैरिफ आदेश में, आयोग द्वारा पारेषण टैरिफ अवधारित किये गये थे जो कि दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से प्रभावशील थे तथा जो कि बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2009 तक प्रचालन हेतु जारी रहेंगे तथा जो कि आयोग के वार्षिक अनुमोदन के अध्याधीन होंगे तथा अनियंत्रणीय कारकों के कारण इनमें आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेंगे । मध्यप्रदेश

विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 की कण्डिका 1.25 निम्नानुसार निर्बन्धन करती है :

''एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ अवधि के आरंभ में तथा तदोपरांत प्रतिवर्ष एक याचिका दायर करेगा । आयोग द्वारा आंकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन करने तथा कतिपय अनियंत्रित परिवर्तन को समायोजित करने हेतु समीक्षा की जावेगी । इसकी प्रस्तुति मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम 2004 में विनिर्दिष्ट अनुसार तथा निर्धारित प्रपत्रों में प्रति वर्ष 15 अक्टूबर तक की जावेगी ।''

तद्नुसार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारित तिथि, अर्थात् 15 अक्टूबर, 2006 तक उसकी याचिका दायर करने संबंधी निर्देश दिये गये । एमपीपीटीएल द्वारा याचिका दायर किये जाने हेतु दिनांक 15.10.2006 से 31.10.2006 तक तथा तदोपरांत दिनांक 07.11.2006 तक इसे बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया जिसे कि आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया । एमपीपीटीएल द्वारा उनकी याचिका दिनांक 6.11.2006 को दायर की गई ।

1.3 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ का अवधारण किये जाने पर, वह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को नियमित रूप से पारेषण प्रणाली के दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं, अर्थात्, राज्य के तीन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से दीर्घ–अवधि अनुबंध निष्पादित किये जाने हेतु निर्देशित करता रहा है, परन्तु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस निर्देश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है । आयोग द्वारा एक स्वप्रेरणा याचिका (क्र. 98/2006) पंजीकृत की गई तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से दीर्घ–अवधि अनुबंध निष्पादित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया । आयोग का यह मत है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के मध्य मेगावाट में पारेषण प्रणाली क्षमता के उपयोग हेतु किसी दीर्घ–अवधि वचनबद्धता के अभाव में, पारेषण टैरिफ, जैसा कि आयोग द्वारा रूपये प्रति मेगावाट की दर में इसे अवधारित किया गया है, की वसूली नहीं की जा सकती है ।

1.4 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण टैरिफ के सत्यापन हेतु एक याचिका दायर की गई है, जिसे कि आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश दिनांक 7.2.2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु उसके पारेषण टैरिफ आदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु प्रचालन एवं संधारण मानदण्डों हेतु अवधारित किया गया है । वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा पारेषण प्रभारों की संक्षेपिका, जैसा कि इन्हें पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखे के अंकेक्षित विवरण पत्र के आधार पर दाखिल किया गया है, निम्नानुसार दिये गये हैं :

तालिका–1 : पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका

आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं (आदेश दिनांक 7.02.2006 तथा 13.03.2006)					
स.क्र.	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 06***	**वित्तीय वर्ष 07**	**वित्तीय वर्ष 08**	**वित्तीय वर्ष 09**
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय	73.06	92.66	98.21	104.11
2	अवमूल्यन	62.38	99.74	110.31	117.56
3	ऋणों पर ब्याज	59.16	54.94	71.50	82.93
4	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज		67.13	70.45	61.06
5	पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ	84.23	122.78	127.26	127.26
6	टर्मिनल दायित्वों हेतु प्रावधान	106.35	160.00	167.48	177.52
7	कर तथा मप्रविनिआ को शुल्क का भुगतान + अन्य व्यय	0.00	1.43	1.73	2.02
8	**योग**	**385.18**	**598.68**	**646.94**	**672.46**

** 10 माह हेतु आनुपातिक की गई वार्षिक राशि*

सत्यापित याचिका – एमपीपीटीसीएल द्वारा दायर की गई पारेषण वार्षिक राजस्व आवश्यकता					
स.क्र.	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 06**	**वित्तीय वर्ष 07**	**वित्तीय वर्ष 08**	**वित्तीय वर्ष 09**
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय	95.67	132.74	161.09	177.05
2	अवमूल्यन	132.61	142.87	143.90	178.07
3	ऋणों पर ब्याज	87.64	148.18	213.19	273.71
4	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज		18.82	21.90	25.70
5	पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ	84.23	125.70	140.40	154.08
6	टर्मिनल दायित्वों हेतु प्रावधान	128.19	181.62	192.53	204.07
7	कर तथा म.प्र. विनिआ को शुल्क का भुगतान + अन्य व्यय	0.00	1.36	1.44	1.54
8	**योग**	**528.34**	**751.28**	**874.46**	**1014.21**

^ वार्षिक राजस्व आवश्यकता में आयकर सम्मिलित नहीं किया गया है

सत्यापन द्वारा चाहा गया प्रतिशत परिवर्तन					
स.क्र.	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष 06**	**वित्तीय वर्ष 07**	**वित्तीय वर्ष 08**	**वित्तीय वर्ष 09**
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय	31%	43%	64%	70%
2	अवमूल्यन	113%	43%	30%	51%
3	ऋणों पर ब्याज	48%	170%	198%	230%
4	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज		-72%	-69%	-58%
5	पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ	0%	2%	10%	21%
6	टर्मिनल दायित्वों हेतु प्रावधान	21%	14%	15%	15%
7	कर तथा म.प्र. विनिआ को शुल्क का भुगतान + अन्य व्यय		-5%	-17%	-24%
8	**योग**	**38%**	**25%**	**35%**	**51%**

सार्वजनिक सुनवाई तथा राज्य सलाहकार समिति से परामर्श

1.5 आयोग द्वारा एमपीपीटीसीएल द्वारा दायर की गई याचिका पर हितधारकों से उनकी टिप्पणियां आमंत्रित किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी किये जाने का निर्णय लिया गया । सार्वजनिक सूचना हिन्दी भाषा में निम्न समाचार–पत्रों में दिनांक 17 नवम्बर, 2006 को प्रकाशित की गई :

दैनिक भास्कर (ग्वालियर),

नई दुनिया (इन्दौर),

दैनिक जागरण (रीवा),

अवन्तिका (उज्जैन),

नवभारत (जबलपुर),

राज एक्सप्रेस (भोपाल) एवं

हिन्दुस्तान टाईम्स (अंग्रेजी, मध्यप्रदेश के समस्त संस्करण)

1.6 आयोग द्वारा एमपीपीटीसीएल की टैरिफ याचिका पर ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल स्थित इसके कार्यालय में एक सार्वजनिक सुनवाई दिनांक 22 जनवरी, 2006 को आयोजित की गई ।

1.7 एमपीपीटीसीएल के टैरिफ प्रस्ताव पर राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के समक्ष दिनांक 17 जनवरी, 2006 को एक प्रस्तुति दी गई । सदस्यों द्वारा याचिका पर उनकी अभ्युक्तियां दी गईं तथा बहुमूल्य सुझाव दिये गये जिन्हें कि इस आदेश को अन्तिम रूप दिये जाने के दौरान इन पर मन्थन किया गया है ।

अध्याय – 2

पारेषण कंपनी की प्रस्थिति (स्टेटस)

2.1 एमपीपीटीसीएल, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत वर्ष 2002 में निगमित की गई एक कंपनी है तथा तब से ही वह मप्रराविमं के साथ एक प्रचालन एवं संधारण अनुबंध के अन्तर्गत कार्य सम्पादन कर रही थी । मध्यप्रदेश शासन द्वारा उसकी अन्तरण योजना उसकी अधिसूचना क्रमांक 3679/एफआरएस/18/13/2002 दिनांक 31 मई, 2005 द्वारा अधिसूचित की गई जिसके अनुसार एमपीपीटीएल को निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार परिसम्पत्तियां तथा दायित्व प्रावधिक आधार पर सौंपे गये :

तालिका – 2 : एमपीपीटीसीएल का प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र

(करोड़ रूपये में)

दायित्व		राशि		परिसम्पत्तियां		राशि	
म.प्र. शासन से प्राप्त पूंजी राशि (इक्विटी)			**845**	**स्थाई परिसम्पत्तियां**	सकल परिसम्पत्तियां	2407	
परियोजना विशिष्ट पूंजीगत दायित्व (विलंबित भुगतानों को सम्मिलित कर)	पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	321			घटायें : संचित अवमूल्यन	1076	
	साडा ग्वालियर	15					
	म.प्र. शासन से ऋण (एडीबी)	195			**शुद्ध स्थाई परिसम्पत्ति**	**1331**	**1331**
	योग	**531**	**531**	**निर्माणाधीन मुख्य कार्य (सी.डब्लू.आई.पी.)**			**847**
मप्रराविमं से ऋण			**835**	**पेंशन दायित्वों के प्रति विनियमित दायित्व**			**3910**
चालू दायित्व	स्टाफ संबंधी	20		**चालू दायित्व**	भण्डार (स्टॉक)	66	
	उपार्जित ब्याज, जो कि विलंबित नहीं है	13					
	योग	**33**	**33**		**योग**	**66**	**66**
पेंशन दायित्व			**3910**				
कार्यकारी पूंजी हेतु ऋण प्राप्ति	**अधिविकर्षण (ओवर ड्राफ्ट)**	**0**					
	कार्यकारी पूंजी मांग ऋण + नगद आकलन (क्रेडिट)	**0**	**0**				
संचित बचत/(घाटा)			**0**				
सुरक्षित धन तथा सुरक्षित निधि			**0**				
कुल दायित्व			**6154**	**कुल परिसम्पत्तियां**			**6154**

टीप :–

- स्थाई परिसम्पत्तियों के मूल्य, पुस्तक मूल्यों के अनुसार हैं ।
- सापेक्ष दायित्व, उस सीमा तक, जहां तक कि वे पारेषण गतिविधियों अथवा एमपी ट्रांसको (मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी) के उपक्रमों अथवा परिसम्पत्तियों से संयोजित अथवा संबद्ध हैं, एमपी ट्रांसको में निहित रहेंगे (जिनकी प्राक्कलित राशि रू. 41.66 करोड़ है) ।

- उपरोक्त आय–व्यय विवरण–पत्र इसके वास्तविक आय–व्यय विवरण–पत्र को अन्तिम रूप दिये जाने तक, अन्तरण तिथि की स्थिति में प्रावधिक है ।

अधिसूचना के अनुसार, उपरोक्त आय–व्यय विवरण–पत्र 12 माह की अवधि हेतु प्रावधिक है। प्रावधिक अवधि में, म.प्र. शासन प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र में कथित कीमतों में परिवर्तन कर सकेगा ।

2.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा स्वतंत्र रूप से अपना कार्यभार दिनांक 1 जून, 2005 को, राज्य सरकार द्वारा 31 मई, 2005 को उसके आय–व्यय विवरण–पत्र (बैलेंसशीट) को अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप, प्रारंभ कर दिया गया है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी याचिका दायर किये जाने पर आयोग द्वारा टैरिफ आदेश दिनांक 7.2.2006 को पारित कर दिया गया ।

2.3 वित्तीय वर्ष 06 हेतु, आयोग का पारेषण टैरिफ आदेश म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र पर आधारित था । आयोग द्वारा उसके वित्तीय वर्ष 06 के पारेषण टैरिफ आदेश में पूंजी (इक्विटी) के आवंटन, परियोजना विशिष्ट ऋणों तथा मप्रराविमं के ऋणों के प्रति सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए) एवं निर्माणाधीन मुख्य कार्यों (सीडब्लूआईपी) के संबंध में एक विस्तृत टीप दी गई । इन्हें निम्न परिच्छेदों में उद्धरित किया जा रहा है ।

2.4 पूर्ण किये गये कार्यों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के मध्य पूंजी (इक्विटी) एवं ऋणों के मध्य आवंटन निम्नानुसार था :

2.4.1 मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसार एमपीपीटीसीएल को मध्यप्रदेश शासन से रू. 845 की राशि पूंजी (इक्विटी) के रूप में आवंटित की गई थी । उन्हें परियोजना विशिष्ट दायित्वों की रू. 531 करोड़ की राशि, जिसमें रू. 321 करोड़ की राशि पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) से, रू. 15 करोड़ की राशि साडा ग्वालियर से तथा रू. 195 करोड़ की राशि मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से एडीबी ऋण की राशि सम्मिलित थी, आवंटित की गई थी । इसके अतिरिक्त मप्रराविमं से रू. 835 करोड़ का ऋण (जिसे किसी परियोजना के साथ चिन्हांकित नहीं किया जा सकता है), एमपीपीटीसीएल को आवंटित किया गया है । अधिसूचना, पूर्ण किये गये कार्यों हेतु तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों हेतु नियोजित की गई पूंजी (इक्विटी) की राशि को पृथक–पृथक नहीं दर्शाती है । अतः यह आवश्यक है कि पूंजी (इक्विटी) का आवंटन पूर्ण किये गये कार्यों तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के मध्य विभाजित किया जावे, क्योंकि आयोग पूंजी पर प्रतिलाभ को केवल क्रियान्वित कर चालू (कमीशन) की गई परियोजनाओं हेतु ही अनुज्ञेय कर पायेगा ।

2.4.2 अधिसूचना के अनुसार, पुस्तक–मूल्यों के आधार पर आवंटित की गई सकल परिसम्पत्तियों की राशि रू. 2407 करोड़ होती है । मानदण्डीय ऋण–पूंजी (इक्विटी) अनुपात को 70:30 पर विचार करते हुए, यह माना गया है कि स्थाई परिसम्पत्तियों पर नियोजित की गई पूंजी (इक्विटी राशि) रू. 722. 10 करोड़ होगी, जिसके अनुसार रू. 122.90 करोड़ की शेष राशि निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के पूंजी (इक्विटी) अवयव के रूप में बचेगी । इसे पूर्णांक करते हुए, यह माना जा सकता है कि रू. 722 करोड़ की राशि पूर्ण किये गये कार्यों पर नियोजित की गई है जो कि 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी) की पात्रता रखती है । जैसे ही निर्माणाधीन मुख्य कार्य कार्यान्वित कर चालू (कमीशन) कर दिये जाते हैं, रू. 123 करोड़ की अवशेष राशि पर इक्विटी पर प्रतिलाभ को अनुज्ञेय किया जावेगा ।

2.4.3 अधिसूचित प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र में, रू. 847 करोड़ की राशि निर्माणाधीन मुख्य कार्यों हेतु दर्शाई गई है । एमपीपीटीएल द्वारा उनकी याचिका में यह नहीं दर्शाया गया है कि इसका आवंटन किस प्रकार किया गया है । जैसा कि पूर्व पैरा में कथित किया कहा गया है, आयोग रू. 123 करोड़

की राशि को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के पूंजी (इक्विटी) अवयव के बतौर तथा शेष राशि को ऋण अवयव के रूप में मानता है ।

2.4.4 *पीएफसी के रू. 321 करोड़ ऋण में से, एमपीपीटीसीएल द्वारा रू. 315 करोड़ की राशि के साथ–साथ सम्पूर्ण साडा ऋण को पूर्ण किये गये कार्यों पर उपयोग कर लिया गया चिन्हित किया गया है । एमपीपीटीसीएल के अनुसार रू. 195 करोड़ के एडीबी ऋण (मध्यप्रदेश शासन के माध्यम से प्राप्त) में से रू. 189 करोड़ (444.31/458.59) की राशि पूर्ण किये कार्यों पर उपयोग की जा चुकी है । अत:, आयोग द्वारा रू. 531 करोड़ के कुल परियोजना विशिष्ट ऋणों में से केवल रू. 12 करोड़ की राशि को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों पर उपयोग कर लिया गया माना गया है ।*

2.4.5 *मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2005 के अनुसार, एमपीपीटीसीएल को रू. 835 करोड़ की राशि मप्रराविमं ऋण के रूप में आवंटित की गई थी । जैसा कि पूर्व में कथित है, आयोग रू. 724 करोड़ की राशि को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों का ऋण अवयव मानता है जो कि रू. 847 करोड़ मूल्य के बताये जाते हैं । ऋणों के परियोजना विशिष्ट भाग में से रू. 12 करोड़ का ऋण तथा शेष रू. 712 करोड़ को मप्रराविमं ऋण में से उपयोग कर लिया माना गया है । इस प्रकार, आयोग द्वारा मप्रराविमं के कुल रू. 835 करोड़ के ऋण में से रू. 123 करोड़ को कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु उपयोग कर लिया गया मान लिया गया है ।*

2.4.6 *पूर्ण किये गये कार्यों तथा कार्यकारी पूंजी से चिन्हित किये ऋणों पर ब्याज की चर्चा भाग– 'ब्याज एवं वित्त प्रभार' में की गई है । ऋणों पर ब्याज, जिन्हें निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के अन्तर्गत प्रयोग कर लिया गया माना गया है, को पूंजीकृत किया जावेगा तथा इसे राजस्व आवश्यकता के अन्तर्गत मान्य नहीं किया जावेगा जब तक कि ये कार्य क्रियान्वित कर चालू (कमीशन) नहीं कर दिये जाते । पूंजी (इक्विटी), परियोजना विशिष्ट ऋण तथा मप्रराविमं ऋण का उपयोग, जिस पर आयोग द्वारा विचार किया गया है, निम्न तालिका में दर्शाया गया है :*

तालिका–3 : आयोग के आदेश में वित्तीय वर्ष 06 हेतु कोष का स्त्रोत–वार उपयोग

(राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	स्त्रोत	अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार राशि	स्थाई परिसम्पत्तियां	निर्माणाधीन मुख्य कार्य (सीडब्लूआईपी)	कार्यकारी पूंजी
1.	पूंजी (इक्विटी)	845.00	722.00	123.00	
2.	परियोजना विशिष्ट ऋण	531.00	519.00	12.00	
3.	म.प्र.राविमं ऋण	835.00		712.00	123.00

2.5 चूंकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अन्तिम आय–व्यय विवरण–पत्र अधिसूचित किया जाना शेष है, आयोग का मत है कि उपरोक्त उल्लेखित आवंटन वर्तमान याचिका पर भी लागू होगा ।

अध्याय – 3

अ – राज्यीय पारेषण प्रणाली एवं पारेषण प्रणाली की क्षमता

3.1 राज्यान्तरिक (इन्टरा–स्टेट) पारेषण प्रणाली, विभिन्न वोल्टेजों, अतिरिक्त उच्च पारेषण लाईनों तथा उपकेन्द्रों का एक समूह है । दिनांक 31.3.2006 की स्थिति में, राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली में निम्न पारेषण लाईनें तथा उपकेन्द्र सम्मिलित हैं :

तालिका–4 : राज्य की पारेषण प्रणाली

स.क्र.	वोल्टेज स्तर	अतिरिक्त उच्च दाब लाईनें	अतिरिक्त उच्च दाब उपकेन्द्र	
		सर्किट किलोमीटर में	संख्या	एमवीए क्षमता
1	400 केवी	2314.31	4	3885.00
2	220 केवी	6989.00	34	8850.00
3	132 केवी	10507.00	146	10419.00
4	66 केवी	61.00	1	20.00
योग		**19871.31**	**185**	**23174.00**

3.2 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने, जैसा कि आयोग द्वारा अपने वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 तक के पारेषण टैरिफ आदेश में अवधारित किया है, राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली की औसत क्षमता में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया है । इनके विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका – 5 : औसत पारेषण क्षमता, जैसी कि आयोग द्वारा अवधारित की गई

स.क्र.	राज्यान्तरिक पारेषण प्रणाली की औसत पारेषण क्षमता			
	वित्तीय वर्ष 06	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09
1.	5563 मेगावाट	6010 मेगावाट	7220 मेगावाट	8170 मेगावाट

3.3 आयोग द्वारा खुली पहुंच पर जारी विनियमों, अर्थात् ''मप्रविनिआ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में आयोग ने राज्यीय पारेषण प्रणाली की औसत क्षमता को निम्नानुसार परिभाषित किया है :

''AV-Cap'' से अभिप्रेत है राज्य के अन्दर पारेषण प्रणाली द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा औसत क्षमता मेगावाट में जिसकी व्यवस्था की गई तथा इसकी गणना पारेषण प्रणाली से जुड़ी उत्पादन क्षमताओं तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालित अन्य दीर्घ–अवधि के अनुबंधित क्षमता संबंधी लेन–देन (ट्रांसेक्शन) का जोड़ होगा ।

3.4 औसत पारेषण क्षमता जैसी कि यह आयोग द्वारा अवधारित की गई, में से आगे राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) को आवंटित की गई क्षमता को घटा कर, निम्न रीति के अनुसार वितरित की गई :

तालिका–6 : वितरण कंपनियों के मध्य पारेषण प्रणाली क्षमता का आवंटन (प्रतिशत में)

स.क्र.	वितरण अनुज्ञप्तिधारी / दीर्घ–अवधि क्रेता	क्षमता आवंटन का प्रतिशत
1.	मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (ईस्ट डिस्कॉम)	29.72 प्रतिशत
2.	मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सेन्ट्रल डिस्कॉम)	32.63 प्रतिशत
3.	मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (वेस्ट डिस्कॉम)	37.65 प्रतिशत
4.	महायोग	100.00 प्रतिशत

3.5 तद्नुसार, पारेषण प्रणाली के दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं के मध्य पारेषण प्रणाली क्षमता को निम्न तालिका में दर्शाये गये अनुसार आवंटित किया गया :

तालिका – 7 : वितरण कंपनियों के मध्य पारेषण प्रणाली क्षमता का आवंटन (मेगावाट में)

राशि करोड़ रूपये में

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी / दीर्घ–अवधि क्रेता	क्षमता आवंटन (मेगावाट में)			
		वित्तीय वर्ष 06	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09
1.	मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (ईस्ट डिस्कॉम)	1650	1783	2138	2421
2.	मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सेन्ट्रल डिस्कॉम)	1812	1958	2348	2658
3.	मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (वेस्ट डिस्कॉम)	2091	2259	2709	3067
4.	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड)	10	10	25	25
5.	**महायोग**	**5563**	**6010**	**7220**	**8170**

3.6 म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग ने उसकी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2006 द्वारा राज्य को सितम्बर 2006 की स्थिति में उपलब्ध समस्त स्थापित उत्पादन क्षमता को राज्य की तीन वितरण कंपनियों के मध्य आवंटन को अधिसूचित किया है । इस अधिसूचना द्वारा, शासन ने कुल उपलब्ध उत्पादन क्षमता को तीन वितरण कंपनियों के मध्य विभाजित किया गया है । राज्य को उपलब्ध, कुल उत्पादन क्षमता में से 29.6 प्रतिशत क्षमता को, पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी, 32.5 प्रतिशत क्षमता को मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी को तथा 37.9 प्रतिशत क्षमता को पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी को आवंटित किया गया है । राज्य को उपलब्ध कुल क्षमता को 6806.66 मेगावाट माना गया है । तद्नुसार, सहायक खपत (आक्सीलरी कन्सम्पशन) तथा राज्यान्तरिक पारेषण हानियों को घटाकर (अर्थात, म.प्र. राज्य की सीमा के अर्न्तगत), वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण प्रणाली क्षमता निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार होगी :

तालिका–8 : पुनरीक्षित पारेषण प्रणाली क्षमता का अवधारण

विवरण	वित्तीय वर्ष 07			वित्तीय वर्ष 08			वित्तीय वर्ष 09		
	कुल क्षमता	सहायक खपत	पारेषण प्रणाली हेतु क्षमता	कुल क्षमता	सहायक खपत	पारेषण प्रणाली हेतु क्षमता	कुल क्षमता	सहायक खपत	पारेषण प्रणाली हेतु क्षमता
एमपीपीजीसीएल–ताप–विद्युत	2272.50	216.17	2056.33	2982.50	276.99	2705.51	2982.50	274.18	2708.32
एमपीपीजीसीएल – जल–विद्युत	895.00	2.73	892.27	915.00	2.80	912.20	915.00	2.80	912.20
संयुक्त उपक्रम जल–विद्युत अर्थात् इन्दिरा सागर परियोजना व सरदार सरोवर परियोजना	1851.50	5.55	1845.95	1851.50	5.55	1845.95	2111.50	5.55	2105.95
केन्द्रीय क्षेत्र	1885.49	152.04	1646.78	1937.32	156.70	1691.59	2705.32	201.82	2378.32
अतिरिक्त अंशदान (ई आर ई बी)	50.00	4.50	43.23	50.00	4.50	43.23	50.00	4.50	43.23
विशेष क्षेत्र परिक्षेत्र (एस ई जेड)	10.00	0.90	8.65	25.00	2.25	21.61	25.00	2.25	21.61
महायोग	**6964.49**	**381.89**	**6493.19**	**7761.32**	**448.80**	**7220.08**	**8789.32**	**491.11**	**8169.62**
अर्थात्	**6493 मेगावाट**			**7220 मेगावाट**			**8170 मेगावाट**		

3.7 वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश में, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु पारेषण क्षमता को याचिका के सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर वितरित किया गया था, परन्तु म.प्र. शासन की दिनांक 18.10.2006 की अधिसूचना के अनुसार क्षमता 6010 मेगावाट से बढ़ाकर 6493 कर दी गई है । अतः वितरण कंपनियों के मध्य क्षमता आवंटन के प्रतिशत को परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है । तद्नुसार, पुनरीक्षित पारेषण प्रणाली क्षमता का आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका–9 : पुनरीक्षित पारेषण प्रणाली क्षमता का आवंटन (मेगावाट में)

सरल क्रमांक	विवरण अनुज्ञप्तिधारी / दीर्घ–अवधि क्रेता	क्षमता का आवंटन (मेगावाट में)			
		प्रतिशत में	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	29.60	1919	2130	2411
2	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	32.50	2107	2338	2647
3	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	37.90	2457	2727	3087
4	योग	100.00	6483	7195	8145
5	विशेष क्षेत्र परिक्षेत्र (एसईजेड)		10	25	25
6	**महायोग**		**6493**	**7220**	**8170**

3.8 कुल पारेषण प्रभार जैसे कि वे वित्तीय वर्ष 07 हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली के दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं से वसूल किये गये हैं, को पुनरीक्षित नहीं किया गया है । तथापि, पारेषण क्षमता में 6010 मेगावाट से 6493 मेगावाट तक की अभिवृद्धि किये जाने के कारण, प्रति मेगावाट प्रभारों को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता होगी । तीनों वितरण कंपनियों के मध्य भी क्षमता आवंटन में परिवर्तन हो चुका है तथा पारेषण कंपनी को पारेषण प्रभार नवीन आवंटन के अनुसार वसूल किये जाने आवश्यक होंगे । आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष 07 के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से वसूल की गई राशि के विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश देता है । आयोग इस संबंध में आवश्यक आदेश यथासमय पारित कर देगा । टैरिफ अवधि के अवशेष दो वर्षों हेतु अवधारित की गई क्षमता प्रक्षेपित आंकड़ों (प्रोजेक्शंस) पर आधारित है । क्षमता की पुष्टि उसी दशा में की जा सकती है, जबकि इन वर्षों में विचाराधीन की गई प्रक्षेपित नवीन उत्पादन क्षमताओं के आंकड़े, जिन पर विचार किया गया है, वास्तविक हो जावें । दीर्घ–अवधि क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त क्षमताओं के बंटवारे हेतु परस्पर अनुबंध निष्पादित करें तथा एमपीपीटीसीएल को उपरोक्त दर्शाई गई आवंटित क्षमताओं के आधार पर भुगतान हेतु सहमति व्यक्त करें ।

3.9 वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 तक उसके पारेषण टैरिफ आदेश में, आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिये गये थे कि वे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ दीर्घ–अवधि पारेषण क्षमता का उपयोग किये जाने संबंधी अनुबंध को अन्तिम रूप दिये जाने हेतु उचित कदम उठायें अन्यथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को किसी दीर्घ–अवधि अनुबंध के अभाव में पीछे छूट जाने के कारण परेशानी उठानी होगी । वितरण अनुज्ञप्तिधारी भी पारेषण व्ययों की वसूली करने की स्थिति में नहीं होंगे जब तक कि वे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से समीचीन अनुबंध नहीं कर लेते । आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को परस्पर पारेषण सेवा अनुबंध निष्पादित किये जाने बाबत् कई बार निर्देशित किया गया तथा वह यह जानकर प्रसन्न है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने उसके द्वारा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ निष्पादित किये गये पारेषण सेवा अनुबंध माह नवम्बर, 2006 में प्रस्तुत कर दिये हैं । आयोग द्वारा इनका परीक्षण किया जा रहा है । आदेश यथासमय जारी कर दिया जावेगा ।

ब – राज्य पारेषण प्रणाली द्वारा निष्पादन

पारेषण हानि :

3.10 एमपीपीटीएल ने यह दावा किया है कि पारेषण प्रणाली क्षमता में अभिवृद्धि के कारण उसे पारेषण हानियों में कमी लाये जाने में सहायता मिली है । वित्तीय वर्ष 04 में 6.12 प्रतिशत की पारेषण हानि, घट कर वित्तीय वर्ष 06 में 5.23 प्रतिशत रह गई है, जबकि आयोग का आदेश इस हेतु 5.22 प्रतिशत का था । वित्तीय वर्ष 09 तक पारेषण हानि को आगे 4.90 प्रतिशत घटाया जाना प्रस्तावित किया गया है । एमपीपीटीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 04 से प्रस्तुत पारेषण हानि परिदृश्य निम्नानुसार दर्शाया गया है :

तालिका – 10 : वार्षिक पारेषण हानियां :

विवरण	वित्तीय वर्ष 04	वित्तीय वर्ष 05	वित्तीय वर्ष 06	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	प्राक्कलित	प्राक्कलित	प्राक्कलित
प्रणाली में प्राप्त की गई ऊर्जा की मात्रा (मिलियन यूनिट में)	27555	29531	31306	39183	41808	44963
प्रणाली से निगमित की गई ऊर्जा की मात्रा (मिलियन यूनिट में)	25870	27871	29669	37224	39759	42741
ऊर्जा की हानि (मिलियन यूनिट में)	1685	1660	1637	1959	2049	2202
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	**6.12%**	**5.62%**	**5.23%**	**5.00%**	**4.90%**	**4.90%**
हानि में कमी (प्रतिशत में)	1.81%	0.50%	0.39%	0.22%	0.10%	0.00%

3.11 आयोग द्वारा यह टीप कर लिया गया है कि एमपीपीटीसीएल ने पारेषण हानियां वित्तीय वर्ष 04 में 6.12 प्रतिशत से घटा कर 5.23 प्रतिशत कर ली हैं । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने टैरिफ अवधि के अन्त तक, अर्थात्, वित्तीय वर्ष 09 तक आगे हानियों को 4.9 प्रतिशत तक घटाया जाना प्रस्तावित किया है । आयोग ने उसके वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 संबंधी पारेषण टैरिफ आदेश में अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण हानियां वित्तीय वर्ष 07 हेतु 5 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 08 तथा 09 हेतु 4.9 प्रतिशत रखे जाने संबंधी उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है । आयोग ने आगे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को हानियों में और कमी लाये जाने पर और अधिक जोर दिये जाने का निर्देश दिया है, क्योंकि ये हानियां वर्तमान में गुजरात में 4.4 प्रतिशत, कर्नाटक में 4.86 प्रतिशत तथा राजस्थान में 4.6 प्रतिशत स्तर पर प्रचलित हैं । पावर ग्रिड कार्पोरेशन आंफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) की ये हानियां दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 तक पिछले 52 सप्ताह हेतु 4.6 प्रतिशत स्तर पर हैं । आयोग द्वारा यह टीप कर लिया गया है कि माह दिसम्बर 06 तक वित्तीय वर्ष 07 की हानियां 4.8 स्तर पर हैं जबकि आयोग द्वारा इसे 5 प्रतिशत निर्बन्धित किया गया था । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की महत्वपूर्ण (स्ट्रेटिजिक) व्यवसाय योजना की समीक्षा करते समय आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को हानि संबंधी परिदृश्य को आगे और अधिक घटाने के लिये कहा गया था ताकि इसे पीजीसीआईएल स्तर के आस–पास लाया जा सके । आयोग को सूचित किया गया है कि 4.9 प्रतिशत स्तर से और आगे पारेषण हानियां घटाने के लिये काफी वृहद् स्तर पर धन–निवेश की आवश्यकता होगी । अनुज्ञप्तिधारी की वर्तमान प्राथमिकता ग्रिड संहिता संबंधी शर्तों का अनुपालन किया जाना है जहां तक ये अर्न्तमुख बिन्दुओं पर वोल्टेज तथा पारेषण प्रणाली अवयवों, जैसे कि, ट्रांसफार्मरों, पारेषण लाईनों, आदि के भारण तथा उपलब्धता से संबंधित हैं । विद्युत

उत्पादन परियोजनाएं जिन्हें कि आगामी वर्षों में क्रियान्वित कर चालू (कमीशन) किया जाना है, से पारेषण प्रणाली में ऊर्जा की संव्यवहारित मात्रा में अभिवृद्धि होगी, अतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तद्नुसार उसकी निवेश योजना तैयार की गई है । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगे यह भी अभिव्यक्त किया गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में हानियों में कमी लाये जाने हेतु, उसके लिये पूंजीगत व्यय हेतु वांछित धन जुटाना कठिन होगा । उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्तानुसार पारेषण हानियों को निर्धारित सीमा में रखे जाने हेतु कठोर प्रयास किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3.12 मध्यप्रदेश राज्य से बाहर स्थित उत्पादन स्त्रोतों से ऊर्जा के पारेषण के दौरान पीजीसीआईएल के नेटवर्क में एमपीपीटीसीएल की सीमा तक होने वाली पारेषण हानियां, एमपीपीटीसीएल पारेषण प्रणाली में होने वाली हानियों के अतिरिक्त हैं ।

3.13 आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को वोल्टेज–वार पारेषण हानियों की गणना किये जाने बाबत् निर्देशित कर दिया गया है ताकि उस वोल्टेज स्तर की स्थिति का पता लगाया जा सके जहां पर गंभीर रूप से गतिरोध प्रस्थित है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 220 केवी वोल्टेज प्रणाली को त्वरित ध्यान की दिये जाने की आवश्यकता है, जिसे कि निम्न तालिका में पर्याप्त रूप से प्रदर्शित किया गया है । इन गतिरोधों को हटाये जाने के लिये, पारेषण क्षमता में वृद्धि किये जाने तथा पारेषण लाईनों के सुदृढ़ीकरण हेतु, धन निवेश की आवश्यकता होगी ।

तालिका–11 : पारेषण प्रणाली में वोल्टेज–वार हानियां

सरल क्रमांक	कुल हानियां	हानियां प्रतिशत में					
		वित्तीय वर्ष 05		वित्तीय वर्ष 06			
		अक्टू–दिस. '04	जन–मार्च '05	अप्रैल–जून '05	जुलाई–सित. '05	अक्टू–दिस. '05	जन–मार्च '06
1	400 के वी स्तर पर	1.36	1.12	1.49	1.33	1.44	1.36
2	220 के वी स्तर पर	3.55	3.04	2.88	2.92	3.57	3.49
3	132 के वी स्तर पर	1.73	1.57	0.97	1.21	1.48	1.68
4	**कुल पारेषण हानियां**	**5.48**	**4.87**	**4.35**	**4.42**	**5.43**	**5.49**

विद्युत प्रदाय की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता

3.14 वितरण कंपनियों को तथा तद्नुसार इसे खुदरा उपभोक्ताओं को विश्वसनीयता तथा गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय हेतु, पारेषण नेटवर्क स्वस्थ रूप से प्रस्थित रहना चाहिए । वोल्टेज–वार व्याधात (Interruptions) निम्नानुसार पाये गये हैं :

तालिका–12 : पारेषण प्रणाली में हुए वोल्टेज–वार व्याघात (Interruptions)

सरल क्रमांक	वोल्टेज स्तर	वित्तीय वर्ष 04		वित्तीय वर्ष 05		वित्तीय वर्ष 06		वित्तीय वर्ष 07 (जून 06)	
		संख्या	अवधि (घंटो में)	संख्या	अवधि (घंटो में)	संख्या	अवधि (घंटो में)	संख्या	अवधि (घंटो में)
1	400	6	76.26	2	40.07	3	48.03	2	31.45
2	220	35	459.73	51	713.25	26	443.39	8	88.01
3	132	30	546.63	68	856.08	48	790.20	12	173.35

3.15 वित्तीय वर्ष 04 के मुकाबले, वित्तीय वर्ष 05 में व्याघातों की अवधि तथा संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है । वर्ष 2005–06 के दौरान, केवल 400 केवी को छोड़कर, 220 केवी तथा 132 केवी स्तर पर व्याघात संख्या में कमी आई है । वित्तीय वर्ष 07 में माह जून 06 तक जो प्रवृत्ति देखी गई है, उससे प्रतीत होता है कि चालू वर्ष में व्याघातों की संख्या वित्तीय वर्ष 06 स्तर से अधिक रहेगी । तथापि, वोल्टेजवार प्रणाली उपलब्धता वित्तीय वर्ष 06 में 98 प्रतिशत से अधिक रही । वित्तीय वर्ष 05 तथा 06 में त्रैमासवार तथा वोल्टेजवार पारेषण प्रणाली उपलब्धता निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका–13 : त्रैमासवार पारेषण प्रणाली उपलब्धता

प्रणाली वोल्टेज	वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान वास्तविक प्रणाली उपलब्धता				वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान वास्तविक प्रणाली उपलब्धता			
	अप्रैल – जून	जुलाई – सितम्बर	अक्टूबर – दिसम्बर	जनवरी – मार्च	अप्रैल – जून	जुलाई – सितम्बर	अक्टूबर – दिसम्बर	जनवरी – मार्च
400 केवी	99.93%	98.62%	99.97%	98.88%	98.37%	94.35%	99.08%	99.73%
220 केवी	99.87%	98.25%	99.83%	98.71%	98.27%	99.45%	99.31%	98.24%
132 केवी	99.83%	99.57%	99.83%	99.26%	99.17%	99.15%	99.33%	99.22%

3.16 मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 के अनुसार समग्र प्रणाली की लक्ष्य उपलब्धता की तुलना वित्तीय वर्ष 07 तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु 97 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 09 हेतु 97.5 प्रतिशत लक्ष्य उपलब्धता से अनुकूल रूप से की जा सकती है। एमपीपीटीएल द्वारा निष्पादित की गई उपलब्धता, की तुलना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी उनके आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2004 के अनुसार निर्धारित की गई 98 प्रतिशत की मानदण्डीय उपलब्धता के साथ अनुकूल रूप से की जा सकती है। आयोग द्वारा पूर्व में ही मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 में एमपीपीटीसीएल हेतु विनिर्दिष्ट किये गये मानदण्डों से विचलन किये जाने पर प्रोत्साहन/अर्थदण्ड तंत्र निर्दिष्ट किया गया है ।

अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मरों की असफलता (Failure)

3.17 किसी अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर की असफलता एक काफी बड़े क्षेत्र में विद्युत प्रदाय के व्यवधान में परिणत हो जाती है । अधिकांश असफलताएं प्रचालन कारणों से निमित्त होती हैं । वित्तीय वर्ष 04, वित्तीय वर्ष 05, वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 (माह जून 06 तक) हेतु प्रतिवेदित की गई असफलता दर निम्नानुसार है :

तालिका–14 : ट्रांसफार्मरों की असफलता दर

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 04		वित्तीय वर्ष 05		वित्तीय वर्ष 06		वित्तीय वर्ष 07	
		संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	आटो ट्रांसफार्मर	1	1.09	1	1.05	1	0.95	0	0
2	पावर ट्रांसफार्मर	4	1.3	7	2.16	8	1.94	1	0.24

3.18 यह पाया गया है कि ट्रांसफार्मर असफलता की दर में वृद्धि हुई है जो कि एक चिन्ता का विषय है । आयोग की यह इच्छा है कि अनुज्ञप्तिधारी ऐसी असफलताओं को न्यूनतम करें ताकि उपलब्धता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके ।

अर्न्तमुख बिन्दु (इन्टरफेस पाईंट्स)

3.19 दिनांक 31.03.2005 की स्थिति में, एमपीपीटीसीएल द्वारा एमपीपीजीसीएल (उत्पादन कंपनी), अन्य विद्युत उत्पादकों, यथा, इन्दिरा सागर परियोजना, पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), राज्य की वितरण कंपनियों, उच्च दाब उपभोक्ताओं तथा पड़ोसी राज्यों के साथ 438 अर्न्तमुख बिन्दु चिन्हित किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 06 में यह संख्या बढ़कर 464 हो गई है । अर्न्तमुख बिन्दुओं की संक्षेपिका निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका–15 : अर्न्तमुख (इन्टरफेस) बिन्दु

के साथ अर्न्तमुख बिन्दु	दिनांक 31.03.2005 की स्थिति में अर्न्तमुख/बिन्दुओं की संख्या	दिनांक 31.03.2006 की स्थिति में अर्न्तमुख/बिन्दुओं की संख्या
एमपीपीजीसीएल	28	38
इन्दिरा सागर परियोजना	3	3
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड/केन्द्रीय क्षेत्र	11	20
अर्न्तराज्यीय	16	11
म.प्र. पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. लिमिटेड	95	96
म.प्र. मध्य क्षेत्र वि.वि.कं. लिमिटेड	100	102
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. लिमिटेड	133	136
कैप्टिव विद्युत उत्पादकों द्वारा चक्रण (व्हीलिंग)	1	1
उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु चक्रण	51	56
खुली पहुंच	0	1
योग	**438**	**464**

3.20 इन अर्न्तमुख बिन्दुओं पर उपलब्धता आधारित टैरिफ अनुपालक मापयंत्र (एबीटी कम्पलायेंट मीटर) स्थापित होने चाहिये जिससे कि राज्यान्तरिक (इन्टर–स्टेट) उपलब्धता आधारित टैरिफ का क्रियान्वयन किया जा सके । पीजीसीआईएल के साथ संलग्न अर्न्तमुख बिन्दुओं पर एबीटी कम्पलायेंट मीटर लगे हुए हैं । राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्बन्धित किया गया है कि राज्य में राज्यान्तरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ दिनांक 1 अप्रैल, 2006 से लागू कर दिया जावे । आयोग द्वारा पूर्व में एमपीपीटीसीएल को समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया था ताकि राष्ट्रीय विद्युत नीति में निर्धारित किये गये लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें । लक्ष्य प्राप्ति में कुछ भूल–चूक हुई है तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अब राज्यान्तरिक एबीटी माह दिसम्बर, 2006 तक क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित किया गया है । इस कार्यक्रम में विलम्ब एबीटी कम्पलायेंट मीटरों की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) में विलंब के कारण हुआ है ।

3.21 संक्रिया अनुपालन (आप्रेशनल परफारमेंस) न केवल हानियों में कमी, वोल्टेज संबंधी रूपरेखा में सुधार के रूप में प्रतिबिंबित होना चाहिए, वरन् यह मानव तथा पशु–धन की हानि में कमी के रूप में भी परिलक्षित होना चाहिए । दोनों घातक तथा अघातक प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या, वित्तीय वर्ष 04 के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 05 के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 06 में भी अधिक थी । एमपीपीटीसीएल को इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में समीक्षा कर, इनकी पुनरावृत्ति रोकने के उपाय करने चाहिए । पारेषण नेटवर्क की संक्रिया में व्यक्तियों तथा अन्यों की सुरक्षा का सर्वोच्च महत्व होना चाहिए तथा इस पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

तालिका–16 : विद्युत दुर्घटनाएं

(संख्या)

वित्तीय वर्ष 04				वित्तीय वर्ष 05				वित्तीय वर्ष 06			
घातक		अघातक	योग	घातक		अघातक	योग	घातक		अघातक	योग
मानव	पशुधन	मानव		मानव	पशुधन	मानव		मानव	पशुधन	मानव	
2	0	5	7	2	0	12	14	2	0	9	11

महत्वपूर्ण (स्ट्रेटेजिक) पारेषण व्यवसाय योजना

3.22 एमपीपीटीएल ने पृथक से उसकी महत्वपूर्ण पारेषण व्यवसाय योजना प्रस्तुत की थी । इस योजना में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीनिवेश योजना भी सम्मिलित है । प्रस्तुत की गई योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार दी गई है :

तालिका–17 : वर्ष–वार वित्तीय आवश्यकता

(राशि करोड़ रूपये में)

स. क्र.	विवरण	वर्ष 2011–12 तक वर्षवार वित्तीय आवश्यकता							
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
1.	400 केवी लाईनें	0.00	7.24	70.00	103.00	80.00	30.88	0.00	291.13
2.	400 केवी उपकेन्द्र	7.90	7.13	50.00	67.00	43.00	34.00	0.00	209.03
3.	220 केवी लाईनें	87.40	342.26	208.66	190.65	119.10	86.08	70.00	1104.17
4.	220 केवी उपकेन्द्र	45.06	157.10	165.52	121.55	52.00	98.30	122.75	762.28
5.	132 केवी लाईनें	69.03	178.66	152.38	176.25	197.95	69.87	171.74	1015.88
6.	132 केवी उपकेन्द्र	57.59	169.65	197.88	210.11	191.32	140.22	91.89	1058.66
7.	विविध कार्य	14.85	10.75	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	28.30
8.	**योग**	**281.83**	**872.82**	**844.44**	**871.26**	**683.37**	**459.35**	**456.38**	**4469.45**

3.23 कुल प्रस्तावित की गई रू. 4469.45 करोड़ की पूंजीगत व्यय योजना में से रू. 1491.72 करोड़ की वित्तीय सहायता की व्यवस्था विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से की गई है । वर्ष–वार गठबंधित की गई वित्तीय व्यवस्था की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका – 18 : वर्षवार वित्तीय गठबन्धन

(राशि करोड़ रूपये में)

स. क्र.	विवरण	वर्ष 2011–12 तक वर्षवार कोषीय आवश्यकता							
		2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	400 केवी लाईनें	0.00	7.25	10.00	2.00	0.00	0.00	0.00	**19.25**
2.	400 केवी उपकेन्द्र	7.90	7.13	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**25.03**
3.	220 केवी लाईनें	87.40	342.28	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	**544.09**
4.	220 केवी उपकेन्द्र	44.29	157.10	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	**247.16**
5.	132 केवी लाईनें	69.03	178.66	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	**318.82**
6.	132 केवी उपकेन्द्र	57.59	169.65	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	**311.77**
7.	विविध कार्य	14.85	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**25.60**
8.	**योग**	**281.06**	**872.82**	**335.84**	**2.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.72**

3.24 अतः शेष रू. 2977.73 करोड़ की राशि के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं । एमपीपीटीसीएल द्वारा बतलाया गया है कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता निम्न शर्तों के अनुसार प्राप्त की गई है :

तालिका 19 : गठबंधित वित्त की स्थिति

सरल क्रमांक	वित्तीय संस्था का नाम	परियोजना लागत का प्रतिशत, ऋण के रूप में	स्वयं के स्त्रोतों से वित्तीय व्यवस्था	ब्याज दर
1.	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	70 प्रतिशत (पीएफसी से 20% प्रति–वित्तीय प्रबंधन बतौर)	10%	10.5% (एडीबी) 8.75% (पीएफसी)
2.	पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	70%	30%	8.75%
3.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)	70%	30%	8.75%

3.25 आयोग ने पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 23.1.2006 को प्रस्तुत की गई योजना को प्रावधिक अनुमोदन निम्न शर्तों के अध्यधीन दिया है :

(ए) पूंजी निवेश का पूंजी पर प्रतिलाभ, ब्याज लागत तथा अवमूल्यन पर पड़ने वाले प्रभाव पर सत्यापन करते समय विचार किया जावेगा जिस समय अनुज्ञप्तिधारी उसके वित्तीय वर्ष 06–07 के अंकेक्षित वित्तीय लेखे प्रस्तुत करेगा ।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रत्येक छः माह पश्चात (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 20 अक्टूबर तथा 20 अप्रैल तक) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रत्येक निष्पादित किये गये कार्य के बारे में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के संबंध में सूचित करेगा ।

(सी) अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 20 अप्रैल तक पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये पूंजी निवेश का औचित्य दर्शाना होगा जिसमें पारेषण प्रणाली के बारे में वोल्टेज के परिदृश्य तथा राज्य पारेषण प्रणाली में भारण की परिस्थितियों में सुधार बाबत् जानकारी दशाईं जावेगी ।

(डी) अनुज्ञप्तिधारी पूंजी निवेश के बारे में अथवा नवीन परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु, इसकी आवश्यकताओं की प्राप्ति हेतु, प्रस्तावों के समस्त विकास सक्षम विकल्पों के आर्थिक, तकनीकी, प्रणाली तथा पर्यावरणीय पहलुओं का परीक्षण करेगा ।

(ई) अनुज्ञप्तिधारी कथित वित्तीय वर्ष में कथित निवेश योजना के अनुरूप पूंजी का निवेश करेगा । तथापि, यदि वार्षिक पूंजी निवेश योजना में सूचीबद्ध की गई योजनाओं में किन्हीं अनवेक्षित आकस्मिकताओं के कारण वित्त का पुर्नावंटन किया जाना आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी उसके अर्द्धवार्षिकी प्रतिवेदन में आयोग को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करेगा :

(i) वार्षिक निवेश योजना के अर्न्तगत सम्मिलित किये गये समस्त कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धि ।

(ii) वित्त का पुनःआवंटन, यदि कोई हो, जो कि वार्षिक निवेश नियोजन (प्लान) के अन्तर्गत सूचीबद्ध की गई योजनाओं (स्कीमों) के अन्तर्गत आवश्यक हो ।

(iii) उन कार्यों के विवरण, जो कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदन की अवधि के दौरान प्रारंभ नहीं किये गये हैं ।

(एफ) अनुज्ञप्तिधारी आगामी वित्तीय वर्ष के वार्षिक निवेश नियोजन (प्लान) के कार्य–वार, योजना (स्कीम)–वार विवरण 1 जुलाई, 2007 तक प्रस्तुत करेगा जैसा कि आयोग द्वारा इन्हें पूंजीगत–व्यय मार्गदर्शिका (कैपैक्स गाईडलाईन्स) में निर्धारित किया गया है ।

3.26 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त दर्शाई गई शर्तों का परिपालन समयबद्ध रूप से करेंगे । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लेखा के अंकेक्षित विवरण प्रस्तुत किये जाने पर आयोग द्वारा परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण पर विचार किया जावेगा । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ का अवधारण राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर किया गया है । वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश पारित करते समय, आयोग की धारणा थी कि याचिका की प्रस्तुति के समय पूर्व वर्ष के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र तथा लाभ–हानि लेखा उपलब्ध रहेगा जो कि अनियंत्रण–योग्य लागत के सत्यापन का आधार होगा । अंकेक्षित लेखा विवरण के अभाव में, आयोग परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण तथा तत्संबंधी अवमूल्यन समीक्षा किये जाने की स्थिति में नहीं है ।

अध्याय – 4

पारेषण लागत

अ. भूमिका

4.1 आयोग ने उसके पारेषण टैरिफ आदेश दिनांक 13 मार्च, 2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 तक के वर्षों के पारेषण प्रभार अवधारित किये थे । पूर्व में, आयोग ने उसके आदेश दिनांक 07 फरवरी, 2006 द्वारा वित्तीय वर्ष 06 का पारेषण टैरिफ भी अवधारित किया था । आयोग ने दोनों आदेशों के द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा पारेषण टैरिफ का अवधारण मध्यप्रदेश शासन द्वारा उसकी अधिसूचना दिनांक 3.6.2005 द्वारा अधिसूचित प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर किया था । जैसा कि पूर्व के अध्यायों में दर्शाया गया है कि पारेषण टैरिफ आदेशों को पारित करते समय, आयोग की यह धारणा थी कि मप्रराविमं की उत्तराधिकारी कंपनियों के प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र (Opening Balance Sheet) को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अर्थात्, दिनांक 31 मई, 2006 तक अन्तिम कर दिया जावेगा । आयोग ने पारेषण टैरिफ का अवधारण मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम 2005 द्वारा अधिसूचित बहु–वर्षीय टैरिफ के सिद्धान्तों के आधार पर किया था ।

4.2 एमपीपीटीसीएल की पारेषण प्रणाली के दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं से समस्त अनुज्ञा–योग्य व्ययों की वसूली उन्हें आवंटित की गई क्षमता के अनुपात में किया जाना है । लघु–अवधि प्रयोक्ताओं को यह भुगतान उनके लिये अधिसूचित खुली पहुंच विनियमों में निर्धारित निबंधन तथा शर्तों के अनुसार किया जाना होगा ।

ब. वार्षिक स्थाई प्रभार

4.3 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक स्थाई प्रभारों में निम्न व्यय सम्मिलित होते हैं :

1. प्रचालन तथा संधारण व्ययों के अर्न्तगत कर्मचारियों पर व्यय, प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय ।
2. अवमूल्यन ।
3. ऋण तथा कार्यकारी पूंजी पर ब्याज ।
4. पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ ।
5. अन्य व्यय, अर्थात् कर, अभिकर (ड्यूटी), मप्रविनिआ को शुल्क का भुगतान ।
6. टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु प्रावधान

4.4 वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 तक के उसके पारेषण टैरिफ आदेशों में, आयोग द्वारा विभिन्न व्यय निम्न तालिका के अनुसार अवधारित किये गये हैं :

तालिका–20 : अनुमोदित पारेषण वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं (ए.आर.आर.) (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 06*	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय	73.06	92.66	98.21	104.11
2	अवमूल्यन	62.38	99.74	110.31	117.56
3	ऋणों पर ब्याज	59.16	54.94	71.50	82.93
4	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज		67.13	70.45	61.06

5	पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ	84.23	122.78	127.26	127.26
6	टर्मिनल दायित्वों हेतु प्रावधान	106.35	160.00	167.48	177.52
7	कर तथा मप्रविनिआ को शुल्क का भुगतान + अन्य व्यय	0.00	1.43	1.73	2.02
8	**योग**	**385.18**	**598.68**	**646.94**	**672.46**

* वित्तीय वर्ष 06 हेतु, वार्षिक राजस्व आवश्यकता 10 माह हेतु आनुपातिक की गई है, क्योंकि कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अपना कार्य दिनांक 01.06.2005 से प्रारंभ किया गया ।

4.5 विषय वस्तु संबंधी याचिका में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 के व्ययों का सत्यापन तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 तक की अवधि के व्ययों को पुनरीक्षित किया जाना चाहा गया है । प्रस्तावित वार्षिक राजस्व आवश्यकताओं के विवरण एवं प्रक्षेपित की गई सत्यापन राशि के विवरण निम्न तालिका में दिये गये हैं :–

तालिका–21 : पारेषण संबंधी वार्षिक राजस्व आवश्यकताएं, सत्यापन सहित (करोड़ रूपये में)

स. क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 06*		वित्तीय वर्ष 07		वित्तीय वर्ष 08		वित्तीय वर्ष 09	
		राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन	राशि	प्रतिशत परिवर्तन
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय	95.68	31%	132.74	43%	161.09	64%	177.05	70%
2	अवमूल्यन	132.61	113%	142.87	43%	143.90	30%	178.07	51%
3	ऋणों पर ब्याज	87.64	48%	148.18	170%	213.19	198%	273.71	230%
4	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज			18.82	-72%	21.90	-69%	25.70	-58%
5	पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ	84.23	0%	125.70	2%	140.40	10%	154.08	21%
6	टर्मिनल दायित्वों हेतु प्रावधान	128.19	21%	181.62	14%	192.53	15%	204.07	15%
7	कर तथा मप्रविनिआ को शुल्क का भुगतान + अन्य व्यय	0.00		1.36	-5%	1.44	-17%	1.54	-24%
8	**योग**	528.34	38%	751.28	25%	874.46	35%	1014.21	51%

* वित्तीय वर्ष 06 हेतु, वार्षिक राजस्व आवश्यकता 10 माह हेतु आनुपातिक की गई है, क्योंकि कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अपना कार्य दिनांक 01.06.2005 से प्रारंभ किया गया ।

4.6 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने याचिका में दर्शाया है कि मप्र शासन द्वारा प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अभी तक अन्तिम नहीं किया गया है । एमपीपीटीसीएल के वित्तीय वर्ष 06 के लेखे के विवरण–पत्रों (दिनांक 1.06.2005 से 31.03.2005 तक की अवधि के) जो कि विषय–वस्तु संबंधी याचिका दायर करते समय अंकेक्षित किये जा रहे थे, को अब अन्तिम किया जा चुका है तथा इन्हें आयोग में दायर किया जा चुका है । लेखे से संबंधित प्रारंभिक शेष राशियां अधिसूचित प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार हैं तथा म.प्र. शासन द्वारा प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अन्तिम किये जाने पर इनमें परिवर्तन हो सकता है ।

याचिकाकर्ता ने ''दिनांक 31.05.2005 की स्थिति में अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र'' को अधिसूचित किये जाने पर आयोग को उन्हें अतिरिक्त प्रस्तुति किये जाने बाबत् इसमें संशोधन किये जाने हेतु, अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया है ।

4.7 आयोग ने इस स्थिति के संबंध में समीक्षा कर ली है कि वित्तीय वर्ष 06 (दिनांक 01.06.2005 से 31.03.2006 तक) वार्षिक लेखे का अंकेक्षण कर लिया गया है, परन्तु प्रारंभिक शेष राशियां प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र से ली गई हैं, जिन्हें कि मप्र शासन द्वारा अन्तिम किया जाना शेष है । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 तक की पारेषण टैरिफ दरें प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर अवधारित की गई थीं । बहु–वर्षीय संरचना के अन्तर्गत पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी विनियम, अर्थात्, मप्रविनिआ (पारेषण टैरिफ संबंधी निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2005 अंकेक्षित लेखे के विवरण–पत्र के आधार पर अनियंत्रण–योग्य कारकों हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का सत्यापन किये जाने बाबत् प्रावधान करता है । पूर्वोल्लेखित विनियम की कण्डिका 1.25 निर्बधिंत करती है कि –

''एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ अवधि के आरंभ में तथा तदोपरांत प्रतिवर्ष एक याचिका दायर करेगा । आयोग द्वारा आंकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण तथा उसका सत्यापन करने तथा कतिपय अनियंत्रित परिवर्तन को समायोजित करने हेतु समीक्षा की जावेगी । इसकी प्रस्तुति मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी द्वारा दिये जाने वाला विवरण और इसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट अनुसार तथा निर्धारित प्रपत्रों में प्रति वर्ष 15 अक्टूबर तक की जावेगी ।''

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने वर्तमान याचिका उपरोक्त कथित कण्डिका के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 06 के पारेषण टैरिफ को सत्यापित किये जाने तथा आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 तक की टैरिफ अवधि हेतु, मानदण्डों तथा अवधारित टैरिफ के पुनरीक्षण हेतु दायर की है । आयोग ने वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे के विवरण–पत्रों के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश दिये जाते हैं कि जैसे ही म.प्र. शासन प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अन्तिम करता है, वह विवरणों/अन्तरों को अवधारित टैरिफ में किये गये पुनरीक्षणों में समाविष्ट किये जाने हेतु प्रस्तुत करे जो कि लागतों के मितव्ययी होने के अध्यधीन होगा ।

4.8 वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश का सत्यापन, टैरिफ दर का पुनरीक्षण तथा विद्यमान मानदण्ड जिनके आधार पर वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ का अवधारण किया गया था, से संबंधित मुद्दों पर चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है ।

स. वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन

(ए) प्रचालन तथा संधारण (ओ एण्ड एम) व्यय

4.9 प्रचालन एवं संधारण व्ययों में कर्मचारी व्यय, प्रशासनिक तथा सामान्य (ए एण्ड जी) व्यय एवं मरम्मत तथा संधारण (आर एण्ड एम) व्यय सम्मिलित होते हैं । वित्तीय वर्ष 06 हेतु, आयोग द्वारा ये व्यय ऐतिहासिक

आंकड़ों के आधार पर अवधारित किये गये थे । वित्तीय वर्ष 06 हेतु, दायर की गई याचिका में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने पूंजीकरण दरें कर्मचारी लागत हेतु 33.14 प्रतिशत की दर से, प्रशासनिक तथा सामान्य लागत हेतु 22 प्रतिशत की दर से एवं मरम्मत तथा संधारण लागत हेतु 12 प्रतिशत की दर से, वित्तीय वर्ष 02, वित्तीय वर्ष 03, वित्तीय वर्ष 04 तथा वित्तीय वर्ष 05 की पूंजीकरण दरों के आधार पर प्रस्तुत की थीं । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को पूंजीकरण दरों को पूर्व के आंकड़ों के आधार पर विचार न किये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु इसके स्थान पर उसने पूंजीकरण को 10 प्रतिशत की दर से विचार किये जाने बाबत् अनुरोध किया था । एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर, आयोग ने वित्तीय वर्ष 06 हेतु इन व्ययों के पूंजीकरण पर 10 प्रतिशत की दर पर विचार किया गया (देखें, वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश की कण्डिका 4.18) । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 (दस माह के) हेतु कर्मचारी लागत रू. 53.40 करोड़, प्रशासनिक तथा सामान्य लागत रू. 8.40 करोड़ एवं मरम्मत तथा संधारण लागत रू. 11.63 करोड़ (कुल रू. 73.06 करोड़) अवधारित की गई है ।

4.10 कच्चे चिट्ठे (ट्रायल बैलेंस) के आधार पर तथा तत्पश्चात् अंकेक्षित लेखे के आधार पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु प्रचालन एवं संधारण व्ययों का सत्यापन निम्नानुसार चाहा गया है :

तालिका – 22 : प्रचालन एवं संधारण व्यय

(करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 06
1	आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	73.06
2	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित किये गये कच्चे चिट्ठे पर आधारित प्रचालन एवं संधारण व्यय	95.67
3	अंकेक्षित लेखे पर आधारित प्रचालन एवं संधारण व्यय	94.82
4	आयोग के आदेश पर प्रतिशत वृद्धि	30%

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु, 10 प्रतिशत पूंजीकरण दर पर विचार किया गया । अंकेक्षित लेखे के अनुसार पूंजीकरण दर कर्मचारी व्ययों हेतु 7.77 प्रतिशत, प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों हेतु 7.85 प्रतिशत एवं मरम्मत तथा संधारण व्ययों हेतु 0.62 प्रतिशत है ।

4.11 वित्तीय वर्ष 06 हेतु, अंकेक्षित लेखों के अनुसार कर्मचारी व्यय निम्नानुसार हैं :

वेतन	:	59.48 करोड़ रूपये
भत्ते एवं अन्य प्रसुविधाएं	:	14.97 करोड़ रूपये
संविदा नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति लागत	:	0.09 करोड़ रूपये
टर्मिनल प्रसुविधाएं	:	128.96 करोड़ रूपये
कुल कर्मचारी लागत	:	203.50 करोड़ रूपये
घटायें : कर्मचारी लागत का पूंजीकरण	:	5.85 करोड़ रूपये
कर्मचारी लागत	:	197.65 करोड़ रूपये

उपरोक्त दर्शाई गई कुल कर्मचारी लागत में से, रू. 128.96 करोड़ की राशि टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु है । आयोग द्वारा टर्मिनल प्रसुविधाओं की लागत को अलग माना गया है । चूंकि रू. 128.96 करोड़ की राशि में जीवन बीमा योजनाओं (जीटीआईएस, जीवन बीमा निगम, एससीएलआईएस आदि) की रू. 77.13 लाख की राशि सम्मिलित है, इसे टर्मिनल प्रसुविधाओं का भाग न मानते हुए इसे कर्मचारी व्ययों का भाग माना गया है । अतः वित्तीय वर्ष 06 हेतु कुल कर्मचारी व्ययों की पुर्नगणना रू. 69.46 करोड़ (59.48 + 14.97 + 0.09 + 0.77 – 5.85) की गई है ।

4.12 इसके अतिरिक्त, अंकेक्षित लेखे के अनुसार प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय एवं मरम्मत तथा संधारण व्यय क्रमशः रू. 13.80 करोड़ तथा 11.56 करोड़ हैं । अनुज्ञप्तिधारी ने उसके पत्र दिनांक 19 जनवरी, 2007 द्वारा आयोग को सूचित किया है कि मप्रराविमं द्वारा उसकी समस्त उत्तराधिकारी कंपनियों को रू. 4.60 करोड़ की राशि मुख्यालय जबलपुर पर कार्मिक तथा सामान्य सेवाओं के व्ययों हेतु आवंटित की है । इस राशि को प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों में सम्मिलित किया गया है । आयोग द्वारा पूर्व में ही मण्डल की समस्त उत्तराधिकारी कंपनियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि वह उनके द्वारा मण्डल से संबंधित उनके द्वारा किये व्ययों को अनुज्ञेय नहीं करेगा, क्योंकि मण्डल को पांच कंपनियों में विघटित किया जा चुका है तथा मण्डल को एक व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के दायित्व सौंप दिये गये हैं । अब यह उत्तरदायित्व एक व्यापारिक कंपनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) को सौंप दिया गया है । अतः, वर्तमान प्रकरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मप्रराविमं के व्ययों की पूर्ति हेतु किया गया व्यय अनुज्ञेय नहीं किया गया है । आयोग द्वारा सत्यापन किये जाने हेतु प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय की स्वीकृत राशि को 4.60 करोड़ रूपये कम कर दिया गया है । चूंकि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मरम्मत तथा संधारण व्यय लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र के अनुसार प्रस्तावित किये गये हैं, अतः आयोग द्वारा इन्हें सत्यापन हेतु स्वीकार कर लिया गया है । सत्यापन राशि, जैसी कि आयोग द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 06 के प्रचालन एवं संधारण व्ययों हेतु स्वीकार किया गया है, निम्नानुसार दर्शायी गई है :

तालिका–23 :वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय (करोड़ रूपये में)

प्रचालन एवं संधारण के अवयव	वित्तीय वर्ष 06 के आदेशानुसार	अंकेक्षित लेखे के अनुसार	सत्यापन पश्चात अनुमोदित किया गया	अनुज्ञेय की गई सत्यापन राशि
कर्मचारी लागत	**53.03**	**69.46**	**69.46**	**16.43**
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	**8.40**	**13.80**	**9.20**	**0.80**
मरम्मत तथा संधारण व्यय	**11.63**	**11.56**	**11.56**	**(-) 0.07**
योग (प्रचालन एवं संधारण)	**73.06**	**94.82**	**90.22**	**17.16**

(बी) टर्मिनल प्रसुविधाएं :

4.13 म.प्र. राज्य शासन ने अन्तरण योजना पर अधिसूचना दिनांक 13.6.2005 के माध्यम से पेंशन दायित्वों की पूर्ति का उत्तरदायित्व एमपीपीटीसीएल को स्थानांतरित कर दिया है । अन्तरण योजना निम्न टर्मिनल दायित्वों की पूति हेतु एक संकोष की स्थापना का प्रावधान करती है :

(i) मप्रराविमं के विद्यमान पेंशनर (परिवार पेंशनरों को सम्मिलित कर) जो कि अन्तरण तिथि को पेंशन की पात्रता रखते हैं ।

(ii) मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अन्तरण तिथि तक पूर्व में प्रदाय की गई सेवाओं हेतु भावी पेंशनरों की पेंशन तथा अन्य प्रसुविधाएं जो अन्तरण तिथि के पश्चात सेवा–निवृत्त होते हैं ।

(iii) एमपीपीटीसीएल में कार्यरत भावी पेंशनर जो कि अन्तरण तिथि के पश्चात कुल पेंशन तथा अन्य टर्मिनल सुविधाओं की प्राप्ति की पात्रता रखेंगे ।

4.14 पारेषण टैरिफ आदेश पारित करते समय, आयोग द्वारा पाया गया कि अन्तरण योजना में वांछित अनुसार कोष की स्थापना संबंधी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई थीं । आयोग ने वित्तीय वर्ष 06 हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं की राशि का अवधारण पूर्व वर्षों के आंकड़ों के आधार पर किया था तथा वित्तीय वर्ष 05 में वास्तविक रूप से भुगतान की गई राशि में 6 प्रतिशत की वृद्धि अनुज्ञेय की गई थी । तद्नुसार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष 06 की टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु रू. 127.62 करोड़ (10 माह के लिये रू. 106.35 करोड़ की राशि) अनुज्ञेय की गई थी ।

4.15 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने उसकी वर्तमान याचिका में निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 06 (10 माह हेतु) के दौरान आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश में टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु अनुज्ञेय की गई राशि रू. 106.35 के विरूद्ध उसके द्वारा रू. 128.19 की राशि ही वितरित की थी । आयोग के निर्देशानुसार, अवकाश नगदीकरण राशि को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है ।

4.16 लेखे के अंकेक्षित विवरण पत्रों के अनुसार यह पाया गया कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 में टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु रू. 128.96 करोड़ की राशि वास्तविक राशि ही वितरित की गई । इस राशि में से रू. 77.13 लाख की राशि का भुगतान जीवन बीमा योजनाओं (जीटीआईएस, एससीएलआईएस, एलआईसी, आदि) हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों हेतु किया गया था । चूंकि इस राशि को कर्मचारी लागत में सम्मिलित कर लिया गया है, टर्मिनल सुविधाओं हेतु यह राशि घटकर रू. 128.19 करोड़ (अर्थात्, 128.96 – 0.77 = 128.19) रह गई है । आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश जारी करते समय यह प्रकट किया गया था कि टर्मिनल लाभ न्यास के वित्तीय पोषण हेतु वास्तविक व्ययों पर विचार सत्यापन अभ्यास के समय न्यास के प्रचलन में आ जाने पर किया जावेगा । आयोग द्वारा यह पाया गया कि यह न्यास अभी तक प्रचलन में नहीं आ पाया है परन्तु टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु वास्तविक भुगतान को वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है । इसे दृष्टिगत रखते हुए, आयोग ने एमपीपीटीसीएल के अनुरोध पर विचार कर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टर्मिनल प्रसुविधाओं हेतु रू. 128.19 करोड़ की भुगतान की राशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है ।

तालिका–24 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित की गई टर्मिनल प्रसुविधाएं (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 06 के आदेशानुसार	अंकेक्षित लेखे के अनुसार	सत्यापन पश्चात अनुमोदित किया गया	अनुज्ञेय किया गया सत्यापन
टर्मिनल प्रसुविधा	**106.35**	**128.19**	**128.19**	**21.84**

(सी) अवमूल्यन

4.17 मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार दिनांक 31 मई, 2005 की स्थिति में स्थाई परिसम्पत्तियों का वियोजन (ब्रेकअप) निम्नानुसार था :

तालिका–25 : दिनांक 31.05.2005 को स्थाई परिसम्पत्तियों की अद्यतन स्थिति

(करोड़ रूपये में)

सकल मूल्य	संचित अवमूल्यन	शुद्ध मूल्य
2407.00	1076.10	1330.90

4.18 प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (ग्रॉस फ्रिक्सड एसेट्स – जीएफए) का परिसम्पत्ति–श्रेणियों में वियोजन (ब्रेक–अप) को नहीं दर्शाता है । इसे अभी तक अन्तिम भी नहीं किया गया है । याचिकाकर्ता द्वारा यह पुष्टि की गई है कि उपरोक्त तालिका में उल्लेखित अवशेष राशियां मप्रराविमं द्वारा उस समय संधारित किये गये अभिलेखों से ली गई हैं तथा ये मध्यप्रदेश शासन की अन्तिम अधिसूचना के अध्यधीन हैं । आयोग के निर्देश पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, तदोपरांत उनके प्राक्कलन/अभिलेखों के आधार पर परिसम्पत्तियों के मूल्य का वियोजन, श्रेणीवार संचित अवमूल्यन तथा एक वर्ष हेतु अवमूल्यन प्रस्तुत किया गया था । आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की दरों के आधार पर उनके टैरिफ में अवमूल्यन निम्नानुसार अनुज्ञेय किया गया था :

तालिका–26 : दि. 31.5.2005 की स्थिति में स्थाई परिसम्पत्तियों का वियोजन (ब्रेक–अप) (करोड़ रूपये में) :

लेखा संकेत	विवरण	सकल स्थाई परिसम्पत्ति मूल्य	कुल मूल्य का प्रतिशत	संचित अवमूल्यन	अवमूल्यन दर (प्रतिशत में)	वर्ष हेतु अवमूल्यन
10.1	भूमि तथा भूमि–अधिकार	2.32	0.10	0.06	0.38	0.01
10.2	भवन तथा सिविल कार्य	30.09	1.25	6.16	1.80	0.54
10.5	संयंत्र तथा मशीनरी	1149.10	47.74	499.82	3.60	41.37
10.6	लाइनें, केबल तथा नेटवर्क	1193.50	49.58	561.28	2.57	30.67
10.7	वाहन	2.84	0.12	2.00	18.00	0.51
10.8	फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	29.15	1.21	6.68	6.00	1.75
10.9	कार्यालय उपकरण					
	योग	2407.00	100.00	1076.00		74.85 (10 माह हेतु 62.38)

4.19 वर्तमान याचिका में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि चूंकि राज्य शासन द्वारा अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अधिसूचित किया जाना शेष है, अतः वह वित्तीय वर्ष 06 हेतु अवमूल्यन के सत्यापन बाबत अनुरोध नहीं कर रहा है । तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के समक्ष निवेदन किया है कि मप्रराविमं के ऋणों की मूलधन राशि की अदायगी हेतु, अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम को अनुज्ञेय किया जावे । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह बतलाया गया है कि वित्तीय वर्ष 06 के दौरान, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू. 131.61 करोड़

राशि के ऋणों की अदायगी की है, जिसमें से रू. 62.38 करोड़ की राशि का भुगतान अवमूल्यन कोष में से किया गया था । मप्रराविमं को रू. 70.23 करोड़ की अदायगी हेतु, अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम की राशि को अनुज्ञेय किया जावे ।

4.20 अनुज्ञप्तिधारी के वैधानिक अंकेक्षक द्वारा अवमूल्यन की गणना करते समय, प्रारंभिक स्थाई परिसम्पत्तियों के रू. 2407.00 करोड़ के मूल्य के बारे में निम्नानुसार अपनी टीप दी है :

''प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र में दिनांक 01.06.05 की स्थिति में अन्तरण योजना के अन्तर्गत रू. 2407 करोड़ राशि की प्राप्त की गई परिसम्पत्तियां का 3.10 प्रतिशत की दर से (औसत दर) अवमूल्यन किया गया है चूंकि कथित परिसम्पत्तियों के कोई विवरण उपलब्ध नहीं थे । म.प्र. शासन द्वारा विस्तृत अन्तिम आय–व्यय विवरण–पत्र की अधिसूचना के अध्यधीन, अवमूल्यन की राशि परिवर्तनीय है ।''

4.21 इसके अतिरिक्त, आयोग इस तथ्य की प्रशंसा करता है कि अन्तरण योजना अधिसूचना के अनुसार प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र में दी गई समस्त संख्याएं प्रावधिक प्रकृति की हैं तथा ये अन्तरण योजना की अधिसूचना तिथि से किसी पूर्व तिथि की हो सकती हैं, क्योंकि मप्रराविमं का आय–व्यय विवरण–पत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 की स्थिति में तैयार नहीं था । याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक शेष के कोई भी विवरण प्राप्त नहीं किये हैं, जो कि एक तथ्य है तथा उनके नियंत्रण से बाहर है ।

तालिका–27 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु परिसम्पत्ति पूंजीकरण (करोड़ रूपये में)

लेखा संकेत	विवरण	मूल लागत	अंकेक्षित लेखा के अनुसार अवमूल्यन
10.101	भूमि	0.24	0.00
	भवन		
10.201	कार्यालय भवन	0.01	0.00
10.203	उप–केन्द्र भवन	13.17	0.28
10.205	स्टॉफ हेतु आवासीय कालोनी	0.21	0.00
10.207	अन्य भवन	0.83	0.01
	संयंत्र तथा मशीनरी		
10.301	उपकेन्द्र	305.12	8.37
10.302	लाईनें	329.49	6.98
10.305	उपकरण तथा साधन	0.24	0.01
10.327	कार्यालय संयंत्र तथा मशीनरी	0.19	0.01
10.350	अन्य संयंत्र तथा मशीनरी	0.00	0.00
10.601	कम्प्यूटर तथा सहायक सामग्री	0.00	0.00
	फर्नीचर तथा फिक्सचर्स		
10.501	फर्नीचर तथा फिटिंग्स, पंखे सम्मिलित कर–अतिथि भवन	0.10	0.00
10.502	फर्नीचर तथा फिटिंग्स, पंखे सम्मिलित कर–अन्य	0.00	0.00
	योग :	**649.60**	**15.66**

4.22 इसके अतिरिक्त, अंकेक्षित लेखे में अवमूल्यन की गणना प्रारंभिक शेष राशि रू. 2407 करोड़ पर 3.10 प्रतिशत की दर से दस माह की अवधि हेतु रू. 62.18 करोड़ के रूप में की गई थी । इस प्रकार, अंकेक्षित लेखे के अनुसार दस माह की अवधि हेतु, कुल अवमूल्यन की गणना रू. 77.84 करोड़ की गई है ।

4.23 आयोग, अंकेक्षित लेखे के अनुसार, सम्पत्ति अवमूल्यन की सम्पूर्ण राशि रू. 77.84 को फिलहाल स्वीकार करता है । तथापि, याचिकाकर्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि वह भविष्य में, दावे के सत्यापन हेतु, सम्पूर्ण गणना प्रस्तुत करे ।

4.24 अंकेक्षित लेखे के साथ संलग्न की गई अवमूल्यन तालिका के अवलोकन पर यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने लेखांकन संकेतावली की नवीन संरचना अपनाई है । याचिकाकर्ता को ऐसी नवीन लेखांकन संकेतावली की सम्पूर्ण सूची प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं, जिसमें किये गये परिवर्तनों के बारे में लिखित विवरण, आयोग के सत्यापन हेतु दिये जावें ।

तालिका – 28 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित की गई अवमूल्यन राशि

(करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 06 के आदेशानुसार	अंकेक्षित लेखे के अनुसार	सत्यापन पश्चात अनुमोदित किया गया	अनुज्ञेय किया गया सत्यापन
अवमूल्यन	**62.38**	**77.84**	**77.84**	**15.47**

4.25 जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है याचिकाकर्ता ने वर्ष के दौरान उनकी रू. 132.61 करोड़ की अदायगी राशि अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया था । तथापि, स्थाई परिसम्पत्तियों से ऋणों के चिन्हीकरण के अभाव में, आयोग के लिये याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किया जाना काफी कठिन होगा । राष्ट्रीय टैरिफ नीति में भी यह कहा गया है कि अवमूल्यन के विरूद्ध किसी अग्रिम राशि प्रदान किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । आयोग द्वारा वर्ष हेतु अवमूल्यन को अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर, गणना की जांच यह देखे बिना अनुज्ञेय किया था कि क्या यह केन्द्रीय विद्युत नियामक अथवा विद्युत प्रदाय तथा लेखा नियम (इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई एण्ड अकाऊंट रूल्स – ईएसएएआर) की दरों पर आधारित है । अतः आयोग याचिकाकर्ता के अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम प्रदाय किये जाने संबंधी अनुरोध को स्वीकार नहीं कर रहा है ।

(डी) ब्याज तथा वित्त प्रभार

(i) ऋणों पर ब्याज

4.26 वित्तीय वर्ष 06 हेतु परियोजना विशिष्ट ऋणों के लिये अनुज्ञेय किया गया शुद्ध ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका – 29 : आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया शुद्ध ब्याज (करोड़ रूपये में)

स.क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 06
1	पीएफसी	28.70
2.	एडीबी	16.80
3.	साडा	0.60
4.	मप्रराविमं	0.00
5.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	0.00
6.	राज्य सरकार	0.00
योग		**46.10**

4.27 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु उसके पारेषण टैरिफ आदेशों में म.प्र. शासन द्वारा प्रदाय किये गये प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र से स्त्रोत तथा कोष की प्रयुक्ति को निम्नानुसार प्राक्कलित किया गया है :

तालिका – 30 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु आयोग के आदेश में कोष का स्त्रोतवार उपयोग (राशि करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	स्त्रोत	अधिसूचित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार राशि	स्थाई परिसम्पत्तियां	निर्माणाधीन मुख्य कार्य (सी डब्लू आई पी)	कार्यकारी पूंजी
1.	पूंजी (इक्विटी)	845.00	722.00	123.00	
2.	परियोजना विशिष्ट ऋण	531.00	519.00	12.00	
3.	मप्रराविमं ऋण	835.00		712.00	123.00

वित्तीय वर्ष 06 हेतु ब्याज तथा वित्त प्रभारों का अवधारण करते समय, आयोग द्वारा मप्रराविमं के रू. 835 करोड़ के ऋण को, निर्माणाधीन मुख्य कार्यों (रू. 712.00 करोड़) तथा कार्यकारी पूंजी (रू. 123.00 करोड़) हेतु ऋण माना गया है ।

4.28 वर्तमान याचिका में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र में कार्यकारी पूंजी ऋण की राशि को शून्य दर्शाया गया है । अनुज्ञप्तिधारी ने ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन के पत्र दिनांक 18 जनवरी, 2006 का हवाला देकर आगे निवेदन किया है कि मप्रराविमं ऋण एक गैर–परियोजना विशिष्ट ऋण है तथा मप्र शासन ने इस मप्रराविमं ऋण की विस्तृत प्रावस्था (फ़ेजिंग) इसे सेवाकृत किये जाने बाबत् इसकी समस्त उत्तराधिकारी कंपनियों, को दी है । मप्रराविमं की उत्तराधिकारी कंपनियों के बीच इस मप्रराविमं ऋण का आवंटन निम्नानुसार दिया गया है :

तालिका–31 : मप्रराविमं के ऋण का कंपनी–वार आवंटन

कंपनी का नाम	ऋण राशि (करोड़ रूपये में)
म.प्र. जनको	259.00
म.प्र. ट्रांसको	835.00
पूर्व क्षेत्र वि वि कंपनी	252.00
मध्य क्षेत्र वि वि कंपनी	316.00
पश्चिम क्षेत्र वि वि कंपनी	494.00
योग	**2156.00**

4.29 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके मप्रराविमं ऋण रू. 835 करोड़ की अदायगी दस वर्षों में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के अनुसार की जाना है (जो कि मप्रराविमं द्वारा उसके विभिन्न ऋणियों द्वारा भुगतान योग्य ब्याज दर की भारित औसत पर आधारित है) । याचिकाकर्ता ने आयोग को इस बारे में उसके निर्णय पर पुर्नविचार किये जाने का अनुरोध किया है, क्योंकि एमपीपीटीसीएल का उसे हस्तानांतरित किये गये पूर्व दायित्वों पर कोई नियंत्रण नहीं है । याचिकाकर्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि मप्रराविमं के रू. 835 करोड़ के ऋण में से रू. 712 करोड़ की राशि को निर्माणाधीन मुख्य कार्यों (सीडब्लूआईपी) में उपयोग किये

गये के अनुसार विचार किया जावे जैसा कि आयोग द्वारा उसके पूर्व के टैरिफ आदेशों में विचार किया गया था तथा शेष रू. 123.00 करोड़ की राशि को कार्यकारी पूंजी ऋण के स्थान पर स्थाई परिसम्पत्तियों पर नियोजित किये गये के अनुसार विचार किया जावे ।

4.30 याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि दिनांक 1 जून, 2005 की स्थिति में रू. 847.00 करोड़ के निर्माणाधीन मुख्य कार्यों के प्रारंभिक शेष में से रू. 649.52 करोड़ के कार्य पूंजीकृत किये जा चुके हैं, अर्थात् आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु रू. 621.00 करोड़ राशि के प्रावधिक रूप से विचार किये जाने के विरूद्ध इन्हें वित्तीय वर्ष 06 में निर्माणाधीन मुख्य कार्यों से स्थाई परिसम्पत्तियों में अन्तरित किया जा चुका है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के विचारार्थ वित्तीय वर्ष 06 हेतु निर्माणधीन मुख्य कार्यों के निम्न विवरण प्रस्तुत किये हैं :

तालिका–32 : एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्माणाधीन मुख्य कार्यों (सीडब्लूआईपी) के आवंटन का विवरण (करोड़ रूपये में)

स. क्र.	संस्था	वर्ष के प्रारंभ में निर्माणाधीन मुख्य कार्यों की वित्तीय व्यवस्था	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई धनराशि	परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	निर्माण कार्यों को प्रभारणीय		वर्ष के अंत में निर्माणाधीन मुख्य कार्य
					ऊपरी	ब्याज	
1	पीएफसी	6.50	61.69	6.50	0.13	0.78	62.60
2	एडीबी	5.50	52.16	5.50	0.11	0.66	52.93
3	साडा	-	-	-	-	-	-
4	आरईसी	-	-	-	-	-	-
5	मप्रराविमं	712.00	11.01	467.52	7.47	51.37	314.33
6	राज्य शासन	-	16.29	-	-	-	16.29
7	पूंजी (इक्विटी)	123.00	50.96	170.00	-	-	3.96
	योग	**847.00**	**192.10**	**649.52**	**7.72**	**52.80**	**450.11**

4.31 याचिकाकर्ता ने उपरोक्त विवरण–पत्र ऐसे समय पर प्रस्तुत किया था जिस समय उसके वित्तीय वर्ष 06 के लेखे के विवरण–पत्र तैयार नहीं थे। याचिकाकर्ता द्वारा उनके लेखे वैधानिक अंकेक्षकों तथा महालेखाकार द्वारा अंकेक्षित किये जाने पर अब इस विवरण–पत्र को पुनरीक्षित कर दिया गया है । याचिकाकर्ता द्वारा उनके पत्र दिनांक 19 जनवरी, 2007 से प्रस्तुत किया गया पुनरीक्षित विवरण–पत्र निम्नानुसार दर्शाया गया है ।

तालिका–33 : एमपीपीटीएल द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्माणाधीन मुख्य कार्यों (पुनरीक्षित) का विवरण (करोड़ रूपये में)

स.क्र.	संस्था	वर्ष के प्रारंभ में निर्माणाधीन मुख्य कार्यों की वित्तीय व्यवस्था	वर्ष के दौरान प्राप्त की गई धनराशि	परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	निर्माण कार्यों को प्रभारणीय		वर्ष के अंत में निर्माणाधीन मुख्य कार्य
					ऊपरी	ब्याज	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1+2-3)
1	पीएफसी	6.50	62.87	6.50	-	-	62.87

2	एडीबी	5.50	85.82	5.50	-	-	85.82
3	साडा	-	-	-	-	-	-
4	आरईसी	-	-	-	-	-	-
5(अ)	मप्रराविमं	712.00	15.49	467.52	-	-	259.97
5(ब)	मप्रराविमं (लघु–अवधि)	-	10.86	-	-	-	10.86
6	राज्य शासन	-	20.86	-	-	-	20.86
7	पूंजी (इक्विटी)	123.00	56.78	170.00	7.72	22.68	9.78
		847.00	**252.63**	**649.52**	**7.72**	**22.68**	**450.11**

* ऊपरी व्यय (ओवरहैड) तथा निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) की वित्तीय व्यवस्था वर्ष के अन्तर्गत पूंजी (इक्विटी) के जोड़ से की जाती है ।

4.32 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने यह दावा प्रस्तुत किया है कि मप्रराविमं के 835.00 करोड़ के ऋण के विरूद्ध, जिसमें से रू. 712 करोड़ की राशि का उपयोग वर्ष के प्रारंभ में निर्माणाधीन मुख्य कार्यों हेतु किया था, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 में रू. 467.52 करोड़ की राशि को पूंजीकृत कर लिया गया है । परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण की तिथि पर विचार करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कुल ब्याज के दायित्व की राजस्व व्यय तथा निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) के बीच पुर्नगणना की गई है । तद्नुसार, अनुज्ञप्तिधारी ने ब्याज प्रभारों के विरूद्ध रू. 71.96 करोड़ के सत्यापन हेतु अनुरोध किया है । अनुज्ञप्तिधारी का पुनरीक्षित दावा निम्नानुसार दिया गया है:

तालिका–34 : अनुमोदित किया गया ब्याज बनाम अंकेक्षित लेखे के अनुसार उक्त राशि (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	ऋण का विवरण	आयोग द्वारा अनुमोदित	वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार
1	पीएफसी	28.70	32.24
2	एडीबी	16.80	20.30
3	साडा ग्वालियर	0.60	0.60
4	(i) मप्रराविमं	-	84.57
	(ii) मप्रराविमं., नाबार्ड के विरूद्ध	-	00.30
	योग	**46.10**	**138.01**
घटायें	पूंजीकृत किया गया ब्याज	-	22.69
	योग	**46.10**	**115.32**
	अन्य ब्याज एवं वित्त प्रभार तथा बैंक प्रभार	**-**	2.72
	कुल ब्याज व्यय	**46.10**	**118.04**

(ii) कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

4.33 एमपीपीटीसीएल ने विनियमों में निर्धारित किये गये मानदण्डों के आधार पर कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की पुर्नगणना की है । कार्यकारी पूंजी की गणना हेतु मानदण्ड निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :

- एक माह के प्रचालन तथा संधारण व्यय
- संधारण कलपुर्जे, एतिहासिक लागत की एक प्रतिशत की दर से
- पारेषण प्रभारों की दो माह हेतु प्राप्तियां (रिसीवेबल)
- 11 प्रतिशत की ब्याज दर {भारतीय स्टेट बैंक की सार्वजनिक ऋण दर (पी एल आर)}

4.34 वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कार्यकारी पूंजी आवश्यकता की निम्नानुसार पुर्नगणना की गई है :

तालिका–35 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा की गई कार्यकारी पूंजी तथा ब्याज राशि (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
1	वांछित कार्यकारी पूंजी	116.17
2.	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	12.78

4.35 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल का ऋण (रू. 835.00 करोड़), निर्माणाधीन मुख्य कार्यों हेतु (रू. 712 करोड़) तथा कार्यकारी पूंजी (रू. 123.00 करोड़) आवंटित किया गया था । तद्नुसार, आयोग द्वारा रू. 123.00 करोड़ की कार्यकारी पूंजी पर 12.75 प्रतिशत की दर से ब्याज, अर्थात् रू. 13.07 करोड़, कंपनी के 10 माह के प्रचालन हेतु अनुज्ञेय किया गया था ।

4.36 एमपीपीटीसीएल द्वारा कार्यकारी पूंजी को मानदण्डीय आधार पर अनुज्ञेय किये जाने तथा तद्नुसार इस पर ब्याज अनुज्ञेय किये जाने हेतु अनुरोध किया गया । वर्तमान याचिका में, अनुज्ञप्तिधारी ने पुनः मप्रराविमं ऋण को स्थाई परिसम्पत्तियों की वित्तीय व्यवस्था हेतु न कि कार्यकारी पूंजी आवश्यकता माने जाने हेतु अनुरोध किया है । इसके अतिरिक्त, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने पृथक से कार्यकारी पूंजी पर ब्याज का सत्यापन किये जाने का दावा प्रस्तुत नहीं किया है; वरन् इसके स्थान पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने सम्पूर्ण ब्याज दायित्व की समीक्षा किये जाने हेतु अनुरोध किया है, अर्थात् दीर्घ–अवधि ऋणों तथा कार्यकारी पूंजी के प्रति ब्याज दायित्व का सत्यापन किया जाना । दावा किया गया ब्याज व्यय निम्नानुसार दर्शाया गया है :

तालिका–36 : एमपीपीटीएल द्वारा प्रस्तावित ब्याज का दायित्व (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	वर्ष	जैसा कि पारेषण टैरिफ आदेशों में अनुज्ञेय किया गया			वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार (वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे पर विचार करते हुए)			शुद्ध सत्यापन
		ऋणों पर ब्याज	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	योग	ऋणों पर ब्याज	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	योग	
1	**2005-06**	**46.10**	**13.10**	**59.20**	**118.05**	**0.00**	**118.05**	**58.85**

(iii) आयोग का विश्लेषण

4.37 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई प्रस्तुतियों के संबंध में उसके द्वारा उठाये गये ब्याज संबंधी दायित्वों का विस्तृत परीक्षण किया है । अनुज्ञप्तिधारी के अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र तथा लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र के अभाव में आयोग ने पूर्व में उस समय पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर पूंजी (इक्विटी) तथा मप्रराविमं ऋण को स्थाई परिसम्पत्तियों, निर्माणाधीन मुख्य कार्यों तथा कार्यकारी पूंजी के मध्य आवंटित किया गया था । म प्र शासन द्वारा अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र जारी किया जाना बाकी है । इस बीच, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु लेखे का अंकेक्षण उसके वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा तथा तदोपरांत महालेखाकार द्वारा कराया गया है । अब उसके द्वारा अंकेक्षित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत किये जा चुके हैं । आयोग ने इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है । चूंकि शासन द्वारा कंपनी के प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः आयोग ने ब्याज तथा पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ का सत्यापन, ऋणों के आवंटन तथा पूंजी की सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (जीएफए), जैसा कि इन्हें अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र में प्रतिबिंबित किया गया है, के आधार पर किया है ।

4.38 लेखे का अंकेक्षित विवरण–पत्र यह प्रदर्शित करता है कि दिनांक 31.3.2006 की स्थिति में, अप्रतिभूत (Unsecured) ऋण की राशि, दिनांक 31.3.2006 की स्थिति में, रू. 1424.10 करोड़ तथा निर्माणाधीन मुख्य कार्यों की राशि रू. 450.12 करोड़ है । इस पर विचार करते हुए कि समस्त मुख्य कार्यों की वित्तीय व्यवस्था ऋण के माध्यम से की गई है, ऋण की शेष राशि (निर्माणाधीन मुख्य कार्यों को आवंटित राशि को घटा कर) जो कि ब्याज व्ययों से निकाले जाने की पात्रता रखती है, रू. 973.98 करोड़ (अर्थात् 1424.10 – 450.12) है।

4.39 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 के दौरान परिसम्पत्तियों में रू. 659.52 करोड़ की अभिवृद्धि दर्ज की है। ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) का मानदण्डीय अनुपात 70:30 मानते हुए, अतिरिक्त राशि की वित्तीय व्यवस्था ऋणों से रू. 454.66 करोड़ तथा पूंजी (इक्विटी) से रू. 194.86 करोड़ की जानी थी । तथापि, इस पर विचार करते हुए कि शासन द्वारा अधिसूचित प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार रू. 845 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी (इक्विटी) में से रू. 722 करोड़ की राशि आयोग द्वारा उसके टैरिफ आदेश दिनांक 7.02.2006 द्वारा स्थाई परिसम्पत्ति की वित्तीय व्यवस्था हेतु आवंटित कर दी गई थी, जिससे कि निर्माणाधीन मुख्य कार्यों हेतु रू. 123 करोड़ की राशि शेष बची है । वर्ष के दौरान, अंकेक्षित आय–व्यय विवरण–पत्र के अनुसार, म.प्र. शासन से रू. 56.83 करोड़ की राशि अंशदान आवेदन धन (शेयर एप्लीकेशन मनी) के रूप में प्राप्त हुई थी तथा इस प्रकार कुल पूंजी (इक्विटी) दिनांक 31.3.2006 की स्थिति में जो कि स्थाई परिसम्पत्तियों को आवंटित की जा सकती थी, रू. 179.83 करोड़ है । वर्ष के दौरान, अतिरिक्त पूंजीकरण की राशि जिसे कि ऋण–कोषों द्वारा पोषित किया जा सकता था, की गणना रू. 469.69 करोड़ की गई । परियोजना विशिष्ट ऋण की प्रारंभिक राशि रू. 519.00 करोड़ थी । वित्तीय वर्ष 06 के दौरान, उपरोक्तानुसार, यह राशि रू. 469.69 करोड़ बढ़ गई है, जिससे कि ऋण की कुल राशि रू. 988.69 करोड़ (519.00 + 469.69) हो गई है । कंपनी द्वारा दर्शाया गया है कि वित्तीय वर्ष 06 के दौरान ऋण की मूलधन राशि की अदायगी रू. 132.61 करोड़ के रूप में की गई । अतः, ऋण की राशि जो कि ब्याज की पात्रता

रखती है, रू. 856.08 करोड़ (988.69 – 132.61) है । अनुज्ञप्तिधारी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से (10.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज), पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी) से (10.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से) तथा मप्रराविमं से (12.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर से) ऋण प्राप्त किये थे । 11.38 प्रतिशत ब्याज की भारित औसत दर पर विचार करते हुए, वित्तीय वर्ष 06 के दस माह के ब्याज व्यय रू. 81.16 करोड़ (856.08 x 9.48 प्रतिशत) होंगे ।

4.40 रू. 973.99 करोड़ की कुल ऋण राशि में से (जैसा कि पैरा 4.38 में दर्शाया गया है), रू. 856.08 करोड़ की राशि ब्याज व्ययों में परिवर्तन किये जाने की पात्रता रखती है, क्योंकि ये ऋण परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में लाये गये हैं । रू. 117.91 करोड़ की शेष राशि को कार्यकारी पूंजी आवश्यकता के वित्तीय पोषण हेतु किया गया माना गया है । ब्याज राशि की दर 11 प्रतिशत (भारतीय स्टेट बैंक की सार्वजनिक ऋण दर के अनुसार) पर विचार करते हुए, दस माह की अवधि हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना रू. 10.81 करोड़ की गई है ।

4.41 यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी ने कार्यकारी पूंजी पर ब्याज के सत्यापन हेतु अनुरोध नहीं किया है तथा म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के ऋण को स्थाई परिसम्पत्तियों की वित्तीय व्यवस्था हेतु न कि कार्यकारी पूंजी आवश्यकता हेतु दावा प्रस्तुत किया है परन्तु किया गया वित्तीय आवंटन रू. 117.71 करोड़ की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है । पैरा 4.40 में की गई चर्चानुसार, आयोग ने कार्यकारी पूंजी आवश्यकता की वित्तीय व्यवस्था हेतु उपयोग किये गये ऋणों का अवधारण किया है । जैसा कि पैरा 4.40 में चर्चा की गई है, आयोग कार्यकारी पूंजी की वित्तीय व्यवस्था हेतु ऋणों पर ब्याज की लागत को स्वीकार करता है । राज्य शासन द्वारा प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के अन्तिम आंकड़ों का संशोधन किये जाने पर, इस राशि में परिवर्तन होने की संभावना है ।

4.42 ब्याज व्ययों के सत्यापन की संक्षेपिका निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका–37 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित किया गया ब्याज का दायित्व (करोड़ रू. में)

स. क्र.	जैसा कि पारेषण टैरिफ आदेशों में अनुज्ञेय किया गया			वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार (वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे पर किये गये विचारानुसार)			सत्यापन उपरान्त, जैसा कि आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया			शुद्ध सत्यापन
	ऋणों पर ब्याज	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	योग	ऋणों पर ब्याज	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	योग	ऋणों पर ब्याज	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	योग	
1	46.10	13.07	59.17	118.05	0	118.05	81.16	10.81	91.97	**32.80**

4.43 इस प्रकार वित्तीय वर्ष 06 हेतु कुल ब्याज की गणना रू. 91.97 करोड़ के रूप में की गई है तथा सत्यापन अभ्यास के अनुसार इसे अनुज्ञेय किया जाता है ।

(ई) पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ

4.44 वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ आदेश में, आयोग ने म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रावधिक आय–व्यय विवरण–पत्र पर विचार करते हुए, स्थाई परिसम्पत्तियों पर निवेशित की गयी पूंजी (इक्विटी) राशि के अवधारण हेतु मानदण्डीय ऋण–पूंजी (इक्विटी) का अनुपात 70:30 माना है । तद्नुसार,

रू. 2407.00 करोड़ की सकल परिसम्पत्तियों में से, स्थाई परिसम्पत्तियों में निवेशित पूंजी (इक्विटी) राशि को रू. 722.10 करोड़ माना गया है । इसे रू. 722.00 करोड़ का पूर्णांक करते हुए, आयोग द्वारा इस पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ 14 प्रतिशत अनुज्ञेय किया गया तथा इस प्रकार रू. 84.23 करोड़ की राशि 10 माह की अवधि हेतु अनुज्ञेय की गई है । अनुज्ञप्तिधारी ने अपनी वर्तमान याचिका में वित्तीय वर्ष 06 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ के सत्यापन हेतु अनुरोध नहीं किया है । आयोग द्वारा सत्यापन की गई पूंजी (इक्विटी) तथा एमपीपीटीसीएल द्वारा इस याचिका के माध्यम से सत्यापन हेतु अनुरोध की गई पूंजी निम्न तालिका में दर्शाई गई है :–

तालिका – 38 : पूंजी पर प्रतिलाभ

(करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 06
1	अनुज्ञेय किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	84.23
2	अनुरोध किया गया पूंजी पर प्रतिलाभ	84.23

4.45 आयोग को अंकेक्षित लेखे द्वारा ज्ञात हुआ है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू. 384.97 करोड़ की राशि की बिलिंग, पारेषण प्रभारों तथा रू. 24.62 की बिलिंग, प्रोत्साहन प्रभारों के रूप में की थी । चूंकि दस माह की अवधि हेतु प्रणाली उपलब्धता 95 प्रतिशत से अधिक रही, अतः याचिकाकर्ता को आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु उसके पारेषण टैरिफ आदेश के अन्तर्गत दिये गये सूत्रानुसार प्रोत्साहन की पात्रता है । याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ संबंधी गणना में यह पाया गया है कि इसे स्थाई परिसम्पत्तियों (2407.00 करोड़) के प्रारंभिक सकल खण्ड में ही लागू किया गया है । वित्तीय वर्ष 06 की 10 माह की अवधि हेतु, अर्थात् विचाराधीन अवधि के अन्तर्गत, अंकेक्षित लेखे के अनुसार, स्थाई परिसम्पत्तियों में रू. 649.52 करोड़ की अभिवृद्धि हुई, जिस पर किसी प्रकार के पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओई) का दावा नहीं किया गया है । आयोग का यह मत है कि याचिकाकर्ता वर्ष के दौरान किसी प्रकार की पूंजी (इक्विटी) में अभिवृद्धि पर पूंजी पर प्रतिलाभ (आरओई) की पात्रता रखता है जो कि वर्ष के उस भाग तक ही सीमित होगा जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता क्रियान्वित कर चालू की गई (कमीशंड) नवीन परियोजनायों से लाभ उठाता हो ।

4.46 याचिकाकर्ता ने सत्यापन याचिका के पृष्ठ 14 में निवेदन किया है कि उनके द्वारा रू. 649.52 करोड़ रूपये की राशि का पूंजीकरण किया जा चुका है । लेखे के अंकेक्षित विवरण दिनांक 31.3.06 की स्थिति में रू. 901.83 करोड़ की पूंजी (इक्विटी) दर्शाते हैं । आयोग द्वारा दिनांक 01.06.05 की स्थिति में रू. 722 करोड़ की राशि पूंजी (इक्विटी) के रूप में परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आवंटित की गई तथा रू. 901.83 करोड़ का अन्तिम शेष दिनांक 31.03.06 की स्थिति में स्थाई परिसम्पत्तियों के 30 प्रतिशत से कम है । अतः, आयोग रू. 94.72 करोड़ की राशि को पूंजी पर प्रतिलाभ के रूप में स्वीकार करता है जो कि पूंजी (इक्विटी) के प्रारंभिक तथा अन्तिम शेष के औसत पर दस माह हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ के 14 प्रतिशत की दर के अनुसार है ।

तालिका–39 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापित की गई पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 06 के आदेशानुसार	सत्यापन उपरांत अनुमोदित किया गया	स्वीकृत किया गया सत्यापन
पूंजी पर प्रतिलाभ	**84.23**	**94.72**	**10.49**

(एफ) कर, शुल्क एवं अन्य

4.47 वित्तीय वर्ष 06 के पारेषण टैरिफ आदेश में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं से वास्तविक कर दायित्व की वसूली अधिकतम सीमा रू. 31.98 करोड़ के अध्यधीन अनुज्ञेय की गई थी । बिल की गई राशि अन्तरणीय मद में आती है तथा दीर्घ–अवधि हितग्राहियों द्वारा मासिक आधार पर वर्ष के अन्त में इसके सत्यापन किये जाने पर इसका भुगतान किया जावेगा ।

4.48 वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी याचिका में निवेदन किया है कि एमपीपीटीसीएल ने किसी भी प्रकार का लाभ अर्जित नहीं किया है अतः उस पर कर का कोई भी दायित्व उसके द्वारा देय न होगा । अनुज्ञप्तिधारी ने फ्रिन्ज लाभ कर (फ्रिन्ज बैनिफिट टैक्स) के रूप में रू. 27.73 लाख की राशि का भुगतान किया है, जिसे कि दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं को अन्तरित किया जाना होगा ।

(जी) गैर–टैरिफ आय

4.49 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु उनकी याचिका में इस शीर्ष के अर्न्तगत किसी आय को प्राक्कलित नहीं किया गया था । अतः, आयोग द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत किसी आय पर विचार नहीं किया गया । एमपीपीटीसीएल को यह भी निर्देश दिये गये थे कि यदि इस शीर्ष के अर्न्तगत उसे किसी प्रकार की आय की प्राप्ति होती है तो एमपीपीटीसीएल को दीर्घ–अवधि हितग्राहियों के अनुज्ञेय–योग्य वार्षिक पारेषण प्रभारों को उक्त राशि द्वारा कम करना होगा ।

4.50 वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ के सत्यापन हेतु दाखिल की गई याचिका में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह दर्शाया गया था कि उसके द्वारा गैर–टैरिफ आय के विरूद्ध रू. 110.43 लाख की राशि अर्जित की गई। वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे की प्रस्तुति के अवलोकन पर यह पाया गया कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की गैर–टैरिफ आय बढ़कर रू. 441.35 लाख हो गई है । तत्संबंधी विवरण निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :

तालिका–40 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु अंकेक्षित लेखे के अनुसार गैर–टैरिफ आय (लाख रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	राशि
i.	**विलंबित भुगतान अधिभार**	**94.97**
ii.	**प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिव) ऊर्जा प्रभार**	**11.21**
iii.	**ब्याज से आमदनी**	**25.08**
iv.	**विविध प्राप्तियां**	**310.09**
	योग –	**441.35**

4.51 चूंकि आयोग द्वारा दण्डात्मक ब्याज पर अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके दायित्वों के विलंबित सेवाकृत हेतु अर्थदण्ड के रूप में किये गये व्यय पर विचार नहीं किया जा रहा है, अतः विलंबित भुगतान अधिभार को भी

अनुज्ञप्तिधारी की आय नहीं माना गया है । गैर–टैरिफ आय को विलंबित भुगतान अधिभार की सीमा तक घटा दिया गया है । रू. 346.38 लाख की अवशेष राशि को गैर–टैरिफ आय माना गया है तथा इसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कुल आमदनी से घटा दिया गया है ।

(एच) प्रोत्साहन तथा अर्थदण्ड

4.52 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को विनियमों के अनुसार लक्ष्य उपलब्धता से अधिक भारित वार्षिक उपलब्धता प्राप्त किये जाने पर प्रोत्साहन प्राप्त किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है । वित्तीय वर्ष 06 हेतु, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी 95 प्रतिशत से अधिक भारित वार्षिक उपलब्धता प्राप्त किये जाने पर प्रोत्साहन प्राप्ति हेतु अधिकृत था । प्रोत्साहन का भुगतान समस्त दीर्घ–अवधि हितग्राहियों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्हें कि वार्षिक पारेषण प्रभारों का भुगतान उन्हें औसत आवंटित क्षमता के अनुपात में भुगतान किये जाने की बाध्यता है तथा लक्ष्य उपलब्धता स्तर से कम होने पर पारेषण प्रभारों की वसूली आनुपातिक आधार पर की जावेगी, अर्थात्, शून्य उपलब्धता पर कोई भी पारेषण प्रभार वसूली योग्य न होंगे । प्रोत्साहन की गणना का सूत्र निम्नानुसार दर्शाया गया है :

प्रोत्साहन = 722 (पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों पर लगाई गई पूंजी) * (प्राप्त की गई वार्षिक उपलब्धता - 95%)

100

4.53 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन हेतु दायर की गई उसकी याचिका में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया है कि उसके द्वारा 98.41 प्रतिशत की वार्षिक उपलब्धता प्राप्त की गई थी तथा इसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) द्वारा प्रमाणित किया गया है । तद्नुसार अनुज्ञप्तिधारी ने रू. 24.62 करोड़ का प्रोत्साहन अर्जित किया है । आयोग वित्तीय वर्ष 06 हेतु इसे अनुमोदित करता है ।

(आई) वार्षिक पारेषण प्रभार

4.54 वित्तीय वर्ष 06 हेतु, आयोग द्वारा पारेषण टैरिफ का सत्यापन वास्तविक व्यय के आधार पर किया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 06 के लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र के अन्तर्गत अर्हता रखता है । व्ययों की संक्षेपिका, जैसा कि इसे सत्यापित किया गया है, निम्न तालिका में दी गई है :

तालिका 41 : वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वार्षिक राजस्व आवश्यकता के अनुसार अनुमोदित	जैसा कि सत्यापन याचिका में दाखिल किया गया है	अंकेक्षित लेखे के अनुसार	जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत किया गया	सत्यापित की गई राशि
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय					
अ.	कर्मचारी व्यय	53.03	69.50	69.46	69.46	16.43
ब.	मरम्मत तथा संधारण व्यय	11.63	12.15	11.56	11.56	-0.07
स.	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	8.40	14.03	13.80	9.20	0.80
	प्रचालन एवं संधारण व्ययों का योग	73.06	95.68	94.82	90.22	17.16
2	टर्मिनल लाभ दायित्व	106.35	128.19	128.19	128.19	21.84
3	अवमूल्यन	62.38	132.61	77.84	77.84	15.46
4	ब्याज व्यय					

अ.	ऋणों पर ब्याज	46.10	87.64	118.04	81.16	35.06
ब.	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	13.07	0.00	0.00	10.81	-2.26
	ब्याज व्ययों का योग	59.17	87.64	118.04	91.97	32.80
5	पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ	84.23	84.23	84.23	94.72	10.49
6	योग	385.19	528.35	503.12	482.97	97.75
7	घटायें गैर–टैरिफ आय	0.00	1.10	3.46	3.46	3.46
8	**महायोग**	**385.19**	**527.25**	**499.66**	**479.51**	**94.29**

4.55 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु रू. 94.29 करोड़ की सत्यापित राशि की वसूली वित्तीय वर्ष 08 के दौरान 12 बराबर किस्तों में पारेषण प्रभारों के साथ जैसा कि आयोग द्वारा इसे वित्तीय वर्ष 08 हेतु अवधारित किया जावेगा, की जाना है । दीर्घ–अवधि हितग्राहियों से रू. 94.29 करोड़ की वसूली निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार की जावेगी :

तालिका–42 : सत्यापित किये गये पारेषण प्रभारों की वसूली (वित्तीय वर्ष 06) (करोड़ रूपये में)

स. क्र.	विवरण	राशि
1	वित्तीय वर्ष 06 हेतु, सत्यापित किये गये पारेषण प्रभार	94.29
2	वित्तीय वर्ष 06 के दौरान पारेषण प्रणाली क्षमता (मेगावाट में)	5563.00
3	दीर्घ–अवधि हितग्राहियों द्वारा पारेषण प्रभारों का किये जाने वाला भुगतान प्रति मेगावाट प्रति वर्ष (सरल क्र. 1/सरल क्रमांक 2) (लाख रूपये में)	1.695
4	वित्तीय वर्ष 08 के दौरान दीर्घ–अवधि हितग्राहियों से उन्हें आवंटित की गई क्षमता के आधार पर वसूल किये जाने वाले प्रभार (वित्तीय वर्ष 06 का सत्यापन)	94.29
(अ)	म.प्र. पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर – 1650 मेगावाट	27.97
(ब)	म.प्र. मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल – 1812 मेगावाट	30.71
(स)	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी लिमिटेड, इन्दौर – 2091 मेगावाट	35.44
(द)	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र – 10 मेगावाट	0.17
	योग – 5563 मेगावाट	**94.29**

(जे) वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ तथा मानदण्डों का पुनरीक्षण

4.56 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दायर की गई वर्तमान याचिका में, उसके द्वारा विनियम, अर्थात्, ''मप्रविनिआ (पारेषण प्रभारों के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2005'' में निर्धारित प्रचालन एवं संधारण मानदण्डों को पुनरीक्षित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है तथा तद्नुसार वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 के टैरिफ का पुर्ननिर्धारण किया जाना चाहा गया है । अनुज्ञप्तिधारी के अनुसार, पूर्वोलेखित विनियमों को तैयार करते समय तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 के पारेषण टैरिफ आदेश जारी करते समय, आयोग द्वारा म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित प्रावधिक प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र तथा वित्तीय वर्ष 06 के प्राक्कलनों पर विचार किया गया था । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अब वित्तीय वर्ष 06 हेतु लेखे के विवरण –पत्रों को अंकेक्षित करा लिया गया है । वित्तीय वर्ष 06 के अंकेक्षित लेखे के आधार पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग द्वारा अधिसूचित मानदण्डों में पुनरीक्षित किया जाना तथा इसके साथ–साथ वित्तीय वर्ष 08 हेतु टैरिफ का अवधारण किया जाना चाहा है ।

तालिका–43 : वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 की अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय	92.66	98.21	104.11
2	अवमूल्यन	99.74	110.31	117.56
3	ऋणों पर ब्याज	54.94	71.50	82.93
4	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	67.13	70.45	61.06
5	पूंजी पर प्रतिलाभ	122.78	127.26	127.26
6	टर्मिनल सुविधाओं हेतु प्रावधान	160.00	167.48	177.52
7	कर तथा मप्रविनिआ को शुल्क का भुगतान एवं अन्य व्यय	1.43	1.73	2.02
8	**योग ***	**598.69**	**646.95**	**672.45**

* पूर्णांक किये जाने के कारण योग का मिलान न होना संभव है ।

4.57 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 08 हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन दर्ज किये गये हैं :

तालिका–44 : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 08 हेतु दर्ज की गई पुनरीक्षित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 08	
		राशि	प्रतिशत परिवर्तन
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय	161.09	64%
2	अवमूल्यन	143.90	30%
3	ऋणों पर ब्याज	213.19	198%
4	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	21.90	-69%
5	पूंजी पर प्रतिलाभ	140.40	10%
6	टर्मिनल सुविधाओं हेतु प्रावधान	192.53	15%
7	कर तथा मप्रविनिआ को शुल्क का भुगतान एवं अन्य व्यय	1.44	-17%
8	**योग ***	874.46	35%

* पूर्णांक किये जाने के कारण योग का मिलान न होना संभव है ।

4.58 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दी गई प्रस्तुति का सूक्ष्म परीक्षण किया है । आयोग द्वारा यह टीप की गई है कि आयोग द्वारा पूर्व में ही रू. 646.95 करोड़ के पारेषण प्रभार स्वीकृत किये गये थे । यह निश्चय पूर्व में ही किया जा चुका है कि आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ दर का सत्यापन अंकेक्षित लेखे उपलब्ध होने पर किया जा सकता है । स्वयं विनियमों में भी, यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु पारेषण टैरिफ के सत्यापन पर विचार अनियंत्रणीय कारकों संबंधी लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र के आधार पर किया जावेगा, जो कि लागतों के परिमितव्ययी पाये जाने के अध्यधीन होगा । इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन द्वारा कंपनी का अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र जारी किया जाना शेष है जो कि निश्चित तौर पर प्रावधिक विवरण–पत्र के मुकाबले परिसम्पत्तियों, अवमूल्यन, ऋणों, ब्याज आदि की अद्यतन स्थिति में परिवर्तन लायेगा ।

4.59 इसे दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु जारी उसके आदेश दिनांक 13.03.2006 के अनुसार उसके द्वारा अवधारित टैरिफ जारी रखा जावेगा । आयोग निर्देशित करता है

कि यही आदेश उस अवधि तक जारी रहेगा जब तक कि आयोग द्वारा म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उक्त विशिष्ट वर्ष हेतु दाखिल किये गये लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र के आधार पर सत्यापन नहीं कर दिया जाता । याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 के दौरान पारेषण टैरिफ की वसूली निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार की जावेगी :

तालिका–45 : वार्षिक पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 07	वित्तीय वर्ष 08	वित्तीय वर्ष 09
1	प्रचालन एवं संधारण व्यय	92.66	98.21	104.11
2	अवमूल्यन	99.74	110.31	117.56
3	ऋणों पर ब्याज	54.94	71.50	82.93
4	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	67.13	70.45	61.06
5	पूंजी पर प्रतिलाभ	122.78	127.26	127.26
6	टर्मिनल सुविधाओं हेतु प्रावधान	160.00	167.48	177.52
7	कर तथा मप्रविनिआ को शुल्क का भुगतान एवं अन्य व्यय	1.43	1.73	2.02
8	**योग**	**598.69**	**646.95**	**672.45**

* पूर्णांक किये जाने के कारण योग का मिलान न होना संभव है ।

(के) दीर्घ–अवधि तथा लघु–अवधि हितग्राहियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रभार

4.60 उत्पादन क्षमता के आवंटन के फलस्वरूप, जो कि पूर्व में मप्रराविमं द्वारा धारित थी, म.प्र. शासन की अधिसूचना दिनांक 18.10.2006 द्वारा राज्य की तीन वितरण कंपनियों के मध्य पारेषण प्रभारों के अभिभाजन को पुनरीक्षित कर दिया गया है । अनुज्ञप्तिधारी के दीर्घ–अवधि हितग्राहियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले पारेषण प्रभार तथा लघु–अवधि प्रयोक्ता जिन्हें प्रभारों का भुगतान विभिन्न अवधियों के दौरान उपयोग किये गये विद्युत प्रदाय हेतु की गई गणना के अनुसार दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं द्वारा किये जाने वाले प्रभारों की 25 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होता है, निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका–46 : वित्तीय वर्ष 08 हेतु प्रयोज्य पारेषण प्रभार

स.क्र.	विवरण	वित्तीय वर्ष 08
1	आयोग के पारेषण टैरिफ आदेश दिनांक 13.3.2006 के अनुसार अनुज्ञेय किये गये पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)	646.95
2	पारेषण प्रणाली क्षमता (मेगावाट में)	7220.00
3	दीर्घ–अवधि हितग्राहियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले पारेषण प्रभार प्रति मेगावाट प्रतिवर्ष (सरल क्रमांक 1/सरल क्रमांक 2) (लाख रूपये में)	8.96
4	दीर्घ अवधि हितग्राहियों द्वारा किये जाने वाले पारेषण प्रभारों का भुगतान प्रति मेगावाट प्रति दिवस (रूपये)	2448.23
5	लघु–अवधि हितग्राही (0.25* सरल क्रमांक 6) (रूपये/मेगावाट/दिवस में)	612.06
(ए)	एक खण्ड में, 6 घंटे की अवधि तक (0.25* सरल क्रमांक 7) (रूपये/मेगावाट में)	153.02
(बी)	एक खण्ड में, 6 घंटे की अवधि से अधिक तथा 12 घंटे तक (05* सरल क्रमांक 7) (रूपये/मेगावाट में)	306.04
(सी)	12 घंटे की अवधि से अधिक तथा 24 घंटे तक (सरल क्रमांक 7) (रूपये/मेगावाट में)	612.06

6	वित्तीय वर्ष 08 के दौरान दीर्घ–अवधि हितग्राहियों से हटाये जाने वाले प्रभार	646.95
(ए)	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर – 2130 मेगावाट	190.86
(बी)	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर – 2338 मेगावाट	209.50
(सी)	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर – 2727 मेगावाट	244.35
(डी)	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र – 25 मेगावाट	2.24
	योग – 7220 मेगावाट	**646.95**

4.61 इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 08 के दौरान पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–अवधि हितग्राहियों से कुल पारेषण प्रभार निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार वसूली किये जाने हेतु अधिकृत है ।

तालिका – 47 : वित्तीय वर्ष 08 के दौरान वसूली योग्य कुल पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	हितग्राही का नाम	वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण प्रभारों की सत्यापन राशि	वित्तीय वर्ष 08 हेतु पारेषण प्रभार	वित्तीय वर्ष 08 के दौरान वसूली योग्य कुल पारेषण प्रभार
1	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	27.97	190.86	218.83
2	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	30.71	209.50	240.21
3	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर	35.44	244.35	279.79
4	विशेष आर्थिक परिक्षेत्र	0.17	2.24	2.41
5	योग	94.29	646.95	741.24

अध्याय – 5

भाग अ – आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की अद्यतन स्थिति

5.1 वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु जारी पारेषण टैरिफ आदेशों में आयोग द्वारा मण्डल को पूर्व में जारी किये गये पारेषण कृत्यों संबंधी दिशा–निर्देशों के परिपालन की अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तृत समीक्षा की गई थी । इन दिशा–निर्देशों के संबंध में परिपालन की अद्यतन स्थिति के बारे में आगे दर्शाये गये परिच्छेदों में वर्णन किया गया है ।

5.1.1 पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का निपटान

5.1.1.1 दिशा–निर्देश :

देयकों के निपटान के संबंध में, मप्रराविमं द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को मप्रराविमं से किये गये अनुबंध के अन्तर्गत संचालित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपयोग की गई पारेषण क्षमता हेतु भुगतान करना चाहिए जिस अवधि तक राजस्व प्रवाह का नियंत्रण मप्रराविमं द्वारा किया जा रहा हो ।

5.1.1.2 एमपीपीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 1 जून, 2005 से 31 मार्च, 2006 की अवधि के दौरान, एमपीटीसीएल द्वारा रू. 408.85 करोड़ की राशि के बिल प्रस्तुत किये गये थे तथा मप्रराविमं द्वारा रू. 420.46 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई ।

5.1.1.3 आयोग की अभ्युक्ति :

याचिका में दर्शाया गया है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू. 410.64 करोड़ राशि की बिलिंग की गई है, जिसमें राज्य की वितरण कंपनियों को मप्रराविमं के माध्यम से देय प्रोत्साहन राशि भी सम्मिलित है तथा एमपीपीटीएल ने वापसी में रू. 420.46 करोड़ की राशि मप्रराविमं से प्राप्त की है, जिसका अर्थ यह है कि एमपीपीटीसीएल ने मप्रराविमं से रू. 9.82 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्राप्त की है जो कि दिनांक 01.06.2005 से 31.3.2006 हेतु देय थी । वित्तीय वर्ष 07 हेतु, माह अक्टूबर, 2006 तक, एमपीपीटीसीएल ने रू. 350.36 करोड़ की राशि की बिलिंग की है तथा मप्रराविमं से रू. 256.07 करोड़ की राशि मप्रराविमं से वितरण कंपनियों की ओर से प्राप्त की है । आयोग द्वारा पाया गया है कि एमपीपीटीसी ने वित्तीय वर्ष 06 हेतु अतिरिक्त राशि प्राप्त की है । तद्नुसार इस प्रभाव पर भविष्य में विचार किया जावेगा ।

5.1.2 राज्यान्तरिक (इन्टरा–स्टेट) उपलब्धता आधारित टैरिफ का क्रियान्वयन

5.1.2.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का एक समन्वयन अभिकरण (नोडल एजेन्सी) होने के कारण, इसके द्वारा उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) व्यवस्था, नीति में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार, अर्थात् दिनांक 01.04.2006 तक, क्रियान्वित कर आयोग को अनुपालन के संबंध में प्रतिवेदन देना चाहिये ।

5.1.2.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचित किया गया है कि उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) अनुपालक मापयंत्रों की अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) में विलंब के कारण, राज्यान्तरिक एबीटी व्यवस्था का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है जैसा कि राष्ट्रीय विद्युत नीति में, अर्थात् दिनांक 01.04.2006 तक इस हेतु प्रावधान किया गया है । परन्तु अब मापयंत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा संस्थापित किये जा चुके हैं । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा राज्य की उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व में सम्पन्न किया जा चुका है । ऐसी संभावना है कि राज्यीय उपलब्धता आधारित टैरिफ व्यवस्था को अब दिनांक 31.12.2006 तक क्रियान्वित कर दिया जावेगा ।

5.1.2.3 आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग द्वारा पाया गया कि राज्यान्तरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ व्यवस्था में विलंब, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुआ है । आयोग अब इस संबंध में और विलंब किया जाना अनुज्ञेय नहीं करेगा तथा राज्यान्तरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ का क्रियान्वयन निश्चित रूप से 31.12.2006 तक कर लिया जावे ।

5.1.3 कार्यों का पूंजीकरण

5.1.3.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन याचिका की प्रस्तुति के साथ, वित्तीय वर्ष 06 के दौरान सम्पादित किये गये कार्यों के कार्य समापन किये जाने संबंधी प्रतिवेदन (कम्पलीशन रिपोर्ट) प्रस्तुत किये जावें। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी वित्तीय वर्ष 06 के दौरान वास्तविक रूप से पूंजीकृत की गई राशि, आगामी आदेश में सत्यापन किये जाने बाबत प्रस्तुत की जावे । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भविष्य में मुख्य कार्यों पर व्यय की गई वास्तविक राशि की गणना परिशुद्ध रूप से की जावे तथा इसे पृथक से लेखाबद्ध किया जावे । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी समस्त योजनाओं/परिसम्पत्तियों के कार्य समापन प्रतिवेदित किये जाने चाहिए जो कि उक्त वर्ष के दौरान जुड़ जाते हैं तथा जिन हेतु अनुज्ञप्तिधारी अवमूल्यन संबंधी दावा प्रस्तुत करना चाहता है। अनुज्ञप्तिधारी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्माणाधीन परियोजनाओं पर किये गये व्यय को पूंजीकरण के प्रयोजन से उचित रूप से लेखाबद्ध करे ।

5.1.3.2 एमपीपीटीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

एमपीपीटीसीएल ने याचिका में वित्तीय वर्ष 06 हेतु पूंजीकृत किये गये कार्यों की सूची प्रस्तुत की है। तद्नुसार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगभग रू. 649.52 करोड़ के कार्यों का पूंजीकरण किया गया है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने समापित किये गये कार्यों के संबंध में संयुक्त संचालक, लेखा का एक प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया है ।

5.1.3.3 आयोग की अभ्युक्ति :

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किये गये लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र दर्शाते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 06 के पारेषण टैरिफ आदेशानुसार किये गये रू. 621 करोड़ के प्रावधान के विरूद्ध रू. 649.52

करोड़ के कार्य पूंजीकृत किये गये हैं । तद्नुसार, आयोग ने परिसम्पत्ति के पूंजीकरण पर विचार, परिसम्पत्ति के मूल्य, अवमूल्यन तथा ऋणों पर ब्याज का अवधारण करते समय किया है ।

5.1.4 पूंजीगत व्यय योजना

5.1.4.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी पूंजीगत व्यय योजना आयोग द्वारा जारी पूंजीगत व्यय पर जारी किये गये मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन करते हुए प्रस्तुत की जावेगी । वित्तीय वर्ष 07 हेतु पूंजीगत व्यय योजना दिनांक 30 अप्रैल, 2006 तक तथा टैरिफ अवधि के शेष वर्षों हेतु समय–सारणी में किये गये प्रावधान के अनुसार, अर्थात् दिनांक 31 जुलाई तक प्रस्तुत की जावेगी ।

5.1.4.2 एमपीपीटीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 07 हेतु इसकी पूंजीगत व्यय योजना प्रस्तुत कर दी गई है तथा आगामी वर्षों हेतु आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत की जावेगी ।

5.1.4.3 आयोग की अभ्युक्ति :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग के निर्देशानुसार पूंजीगत व्यय योजना प्रस्तुत कर दी है। योजना की संक्षेपिका समाचार–पत्रों में प्रकाशित की गई थी परन्तु आयोग कार्यालय ने किसी भी हितधारक से कोई भी प्रत्युत्तर/सुझाव/आपत्ति प्राप्त नहीं किये । आयोग द्वारा निवेश योजना, प्रावधिक रूप से कुछ शर्तों के साथ अनुमोदित कर दी गई है । इसे इस आदेश के पैरा 3.25 में सम्मिलित किया जा चुका है ।

5.1.5 व्यय का पूंजीकरण

5.1.5.1 दिशा–निर्देश :

अनुज्ञप्तिधारी को निर्माण कार्यों पर कर्मचारियों पर किये गये व्यय, प्रशासन तथा सामान्य व्यय एवं मरम्मत तथा संधारण पर किये गये व्यय पृथक–पृथक इन्हें निर्माण कार्यों के दौरान किये गये आनुषंगिक व्यय (Incidental Expenses during Construction - IEDC) में सम्मिलित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को मुख्य कार्यों पर उसके द्वारा किये गये प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय उचित रूप से लेखाबद्ध किये जाने हेतु, भी निर्देशित किया जाता है।

5.1.5.2 एमपीपीटीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

एमपीपीटीएल द्वारा सूचित किया गया है कि उसके द्वारा निर्माण कार्यों पर कर्मचारी लागत पर किये गये व्यय, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय संबंधी अभिलेख रखे जाने हेतु व्यवस्थाएं किये जाने हेतु पहल की है । इन शीर्षों के अन्तर्गत व्यय वित्तीय वर्ष के लेखा विवरण–पत्रों में उचित स्थानों पर दर्शाये गये हैं ।

5.1.5.3 आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग के दिशा–निर्देशों का परिपालन किया जा चुका है । लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र कर्मचारी लागत, प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय तथा मरम्मत एवं संधारण व्यय के विरूद्ध पूंजीकरण दर्शाते हैं ।

5.1.6 टर्मिनल प्रसुविधा :

5.1.6.1 दिशा–निर्देश :

एमपीपीटीसीएल के अवकाश नगदीकरण के प्रति किये गये भुगतानों अथवा इस दायित्व की वित्तीय व्यवस्था किये जाने हेतु आगामी वर्ष हेतु टर्मिनल प्रसुविधाएं प्रक्षेपित करते समय इसे पृथक कर दिया जाना चाहिये ।

5.1.6.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

वित्तीय वर्ष 06 के कच्चे चिठ्ठे (ट्रायल बैलेंस) तथा वित्तीय वर्ष 07 तथा आगामी वर्षों के व्ययों में अवकाश नगदीकरण राशि को टर्मिनल प्रसुविधा के व्यय में सम्मिलित नहीं किया गया है।

5.1.6.3 आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग के दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जा चुका है ।

5.1.7 वोल्टेज, दूरी, दिशा तथा विद्युत प्रवाह की मात्रा के प्रति संवेदनशील पारेषण की कीमत लगाये जाने संबंधी प्रस्ताव

5.1.7.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबंधों के अनुरूप पारेषण की कीमत लगाये जाने संबंधी, वोल्टेज, दूरी, दिशा तथा विद्युत प्रवाह की मात्रा पर विचार करते हुए एक चर्चा पत्र तैयार किया जावेगा ।

5.1.7.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण की कीमत लगाये जाने पर वोल्टेज, दूरी, दिशा तथा विद्युत प्रवाह की मात्रा के बारे में एक चर्चा पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

5.1.7.3 आयोग की अभ्युक्ति :

राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहायता से ऐसे पारेषण की कीमत लगाये जाने संबंधी दूरी, दिशा तथा विद्युत प्रवाह की मात्रा से संबंधित एक ढांचा विकसित करना होगा । इसे प्रथमतः अर्न्तराज्यीय पारेषण हेतु विकसित किया जावेगा तथा तत्पश्चात राज्य आयोगों द्वारा उनके संबंधित राज्यों हेतु इसका अनुसरण किया जावेगा । अतः आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में प्रारूप जारी किये जाने तक प्रतीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया ।

5.1.8 प्रतिपालन प्रतिवेदन की प्रस्तुति

5.1.8.1 दिशा निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 हेतु जारी पारेषण टैरिफ आदेश जिसे इस आदेश में सम्मिलित किया गया है एक समेकित तथा विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 30.06.2006 तक प्रस्तुत करेगा ।

5.1.8.2 एमपीपीटीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु जारी किये गये पारेषण टैरिफ आदेश में जारी विभिन्न दिशा–निर्देशों पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक समेकित तथा विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ।

5.1.8.3 आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग द्वारा पाया गया है कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी राज्यीय उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) के क्रियान्वयन, परिसम्पत्ति पंजी के संधारण तथा थोक विद्युत पारेषण अनुबंध को निष्पादित किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशों का परिपालन करने असमर्थ रहा है । इनमें से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा हाल ही में राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ एक थोक विद्युत पारेषण अनुबंध निष्पादित किया गया है तथा राज्यान्तरिक उपलब्धता आधारित टैरिफ को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जाना संभावित है । मध्यप्रदेश शासन द्वारा अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र जारी किये जाने पर परिसम्पत्ति पूंजी में प्रारंभिक कीमत को अन्तिम रूप दे दिया जावेगा ।

5.1.9 साफ्ट प्रतियों में याचिका दायर किया जाना

5.1.9.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को दिशा–निर्देश दिये जाते हैं कि आगामी याचिका दायर किये जाने से वह एक्सेल शीट्स में स्व–व्याख्यात्मक कार्यकारी मॉडल प्रस्तुत करें, जिसमें कि की गई समस्त गणनाएं तथा अवधारणाएं स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हों तथा सुसंगत अभिलेखों द्वारा समर्थित हों ।

5.1.9.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु सत्यापन याचिका (विषय वस्तु संबंधी याचिका) एक्सेल शीट्स में तैयार की गई है, जिसमें स्व–व्याख्यात्मक मॉडल भी संलग्न किया गया है ।

5.1.9.2 आयोग की अभ्युक्ति :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वर्तमान याचिका भी साफ्ट प्रति में प्रस्तुत की गई है, जिसमें कि संदर्भ भी प्रस्तुत किये गये हैं । आयोग किये गये प्रयास की सराहना करता है ।

5.1.10 पूंजीगत व्यय पर प्रतिवेदन

5.1.10.1 दिशा–निर्देश :

एमपीपीटीसीएल पूंजीगत व्यय योजना के क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जो कि पूंजीगत व्यय योजना के एक भाग के रूप में परिसम्पत्तियों से मेल खाये तथा जिसे कि प्रतिवर्ष 31 जुलाई तक प्रस्तुत किया जावेगा ।

5.1.10.2 एमपीपीटीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने वित्तीय वर्ष 07 हेतु माह जुलाई 06 तक का, पूंजीगत व्यय की प्रगति के संबंध में, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

5.1.10.3 आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग ने इस आदेश के पैरा 3.25 में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उसकी योजना से संबंधित विस्तृत क्रियान्वयन प्रतिवेदन, प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ।

5.1.11 आंकड़ा आधार (डैटा–बेस) तैयार किया जाना

5.1.11.1 दिशा–निर्देश :

एमपीपीटीसीएल को तकनीकी तथा प्रचालन तथा वित्तीय जानकारी/आंकड़ों का एक दृढ़ आंकड़ा आधार तैयार करना चाहिए । एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाकर आयोग को वस्तुस्थिति से दिनांक 30.4.2006 तक अवगत करा दिया जाये तथा कार्य को दिनांक 30.9.2007 तक पूर्ण कर लिया जावे ।

एमपीपीटीएल के पास पर्याप्त आंकड़ा आधार के साथ एक प्रबंधन सूचना प्रणाली, अर्थात् मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) उपलब्ध है । एमआईएस/सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु, कार्य मेसर्स केपीएमजी कन्सलटेंट्स को डीएफआईडी फेज–द्वितीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया है । इस सहायता के अन्तर्गत, इस विषय पर स्थाई हल द्वारा निराकरण किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ईआरपी सोल्यूशंस का क्रियान्वयन किया जाना है । ईआरपी में वित्त तथा लेखा, परिसम्पत्तियों का लेखांकन, सामग्री प्रबंधन, नियंत्रण तथा संधारण प्रबंधन, परियोजना प्रणाली, मानव संसाधन संबंधी मॉडल सम्मिलित किये गये हैं । वर्तमान में, मेसर्स केपीएमजी तथा परामर्शी डीएफआईडी की संयुक्त सहायता से मानदण्ड (स्पेसिफिकेशन) तैयार किये जा रहे हैं । वृहद् परियोजना होने के कारण इसमें कुछ और समय लगने की संभावना है ।

5.1.11.3 आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुरूप पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक समय–बद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया गया है । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 30.4.2007 तक एक विस्तृत समय–सारणी प्रस्तुत की जावे ।

5.1.12 दीर्घ–अवधि पारेषण सेवा अनुबंधों का निष्पादन

5.1.12.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–अवधि प्रयोक्ताओं के साथ अवधारित पारेषण प्रणाली क्षमता हेतु उपयुक्त अनुबंध निष्पादित करेगा ।

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ दीर्घ–अवधि पारेषण क्षमता अनुबंधों को अन्तिम रूप दिये जाने बाबत् त्वरित कदम उठायें अन्यथा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को दीर्घ–अवधि अनुबंध के अभाव में निस्सहाय छूट जाने के कारण कठिनाई का सामना करना होगा । यदि वे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ उपयुक्त अनुबंध का निष्पादन नहीं करते तो वे पारेषण व्ययों की वसूली कर पाने में समर्थ न होंगे । इस दिशा–निर्देश का अनुपालन वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु खुदरा टैरिफ हेतु टैरिफ अवधारण अभ्यास को अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व ही आयोग को प्रतिवेदित कर दिया जावे ।

5.1.12.2 एमपीपीटीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

मप्रराविमं के विघटन पर, एक पारेषण सेवा अनुबंध (टीएसए) ट्रांसको, डिस्कॉम, जनको तथा मप्रराविमं के बीच दिनांक 17.06.05 को निष्पादित किया गया था, जिसे कि आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया । एमपीटीसीएल द्वारा ट्रांसको, ट्रेडको तथा डिस्काम के मध्य निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का एक प्रारूप तैयार किया गया तथा इसे आयोग के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया । आयोग द्वारा त्रि–पक्षीय समझौते को स्वीकार नहीं किया गया है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अब वैयक्तिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी से पृथक–पृथक दीर्घ–अवधि पारेषण सेवा अनुबंध निष्पादित किये जा चुके हैं ।

5.1.12.3 आयोग की अभ्युक्ति :

यद्यपि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के साथ दीर्घ–अवधि पारेषण सेवा अनुबंध निष्पादन में काफी अधिक समय लिया गया, परन्तु उनके द्वारा अन्ततः दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जा चुका है ।

5.1.13 असंतोषजनक वोल्टेज के परिदृश्य पर की गई कार्यवाही

5.1.13 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न स्थानों पर वोल्टेज में आये अन्तरों के संबंध में की गई कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे जहां कि वित्तीय वर्ष 05 में इन अन्तरों की निर्धारित सीमाएं समय–सीमा से 50 प्रतिशत अधिक रही हैं ।

5.1.13.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

एमपीपीटीएल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कंपनी द्वारा तैयार की गई निवेश योजना में, ग्रिड संहिता शर्तों के अनुपालन पर अधिक जोर दिया गया है, अर्थात्, वोल्टेज के परिदृश्य में सुधार किया जाना ताकि इन्हें विनिर्दिष्ट की गई वोल्टेज सीमाओं के अन्तर्गत लाया जा सके एवं पारेषण प्रणाली के अवयवों के भारण में सुधार लाया जाना । ग्वालियर तथा इन्दौर क्षेत्र, जहां कि वोल्टेज परिदृश्य काफी खराब रहा है, कंपनी द्वारा 220 केवी तथा 132 केवी से संबंधित कई कार्य प्रारंभ किये गये हैं ।

5.1.13.3 आयोग की अभ्युक्ति :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मुख्य कार्यों के विस्तार से संबंधित सम्मिलित किये गये कार्यों के किये गये अध्ययनों से वोल्टेज परिदृश्य में काफी अधिक सुधार परिलक्षित हुआ है, विशेषतः इन्दौर तथा ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में जहां कि वोल्टेज परिदृश्य असंतोषजनक था । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा योजना के क्रियान्वयन पश्चात् वास्तविक वोल्टेज परिदृश्य संबंधी जानकारी आयोग को प्रस्तुत की जावे ।

5.1.14 परिसम्पत्ति पंजियां :

5.1.14.1 दिशा–निर्देश :

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनियों को प्रयोज्य लेखांकन सिद्धान्तों की अर्हताओं के अनुरूप उनकी स्थाई परिसम्पत्तियों संबंधी पंजियों को अद्यतन किया जाना चाहिए तथा इसकी समस्त परिसम्पत्तियों को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए । अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में अपना प्रतिवेदन

इस आदेश के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करेगा । अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक 31.5.06 तक प्रस्तुत करना होगा । परिसम्पत्तियों को माह अक्टूबर 2006 तक पूर्ण रूप से संहिताबद्ध (कोडीफिकेशन) करना होगा तथा इस दिशा–निर्देश का अनुपालन न किये जाने की दशा में वित्तीय वर्ष 08 के अवमूल्यन को अस्वीकृत किया जा सकेगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह पुष्टि भी की जावे कि किसी भी परिसम्पत्ति पर अवमूल्यन को प्रभारित नहीं किया गया है, जिसका अवमूल्यन उसकी ऐतिहासिक लागत का 90 प्रतिशत हो चुका है ।

5.1.14.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

एमपीपीटीएल द्वारा संहिताकरण (कोडीफिकेशन) के कार्य की पहल की जा चुकी है तथा परिसम्पत्तियों की पंजियों को यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं । एमपीपीटीसीएल, मप्रराविमं के विघटन के कारण अस्तित्व में आया है जिसे कि अब कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है । शासी कानूनों में परिवर्तन के कारण लेखा संबंधी सारणी (चार्ट) में कतिपय परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है ताकि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (Generally Accepted Accounting Principles - GAPP) तथा लागत लेखा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके । अतः एमपीपीटीएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न गतिविधियों से संबंधित लेखा सारणी को पुनरीक्षित किया गया है । याचिका में लेखा संबंधी नवीन सारणी भी प्रस्तुत की गई है । इसके अलावा, अति उच्च वोल्टेज लाईनों तथा उपकेन्द्रों का वोल्टेज–वार संहिताकरण भी किया गया है । एमपीपीटीएल द्वारा परिसम्पत्ति पंजी भी विकसित की है, जिसके अन्तर्गत यह शर्त अर्न्तनिहित की गई है कि किसी परिसम्पत्ति का अवमूल्यन 90 प्रतिशत से अधिक होने पर इसका दावा नहीं किया जा सकता । तथापि, चूंकि रू. 2407.00 करोड़ का प्रारंभिक सकल खण्ड दिनांक 31.5.06 की स्थिति में अभी तक प्रावधिक ही है, अतः परिसम्पत्ति संबंधी विवरण इसके मिलान (reconciliation) पश्चात् अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जावेगा ।

5.1.14.3 आयोग की अभ्युक्ति :

चूंकि म.प्र. शासन द्वारा प्रारंभिक सकल खण्ड को अन्तिम नहीं किया गया है, कंपनी उसके परिसम्पत्ति–आधार के मिलान की स्थिति में नहीं थी । तथापि, एमपीपीटीसीएल ने सूचित किया है कि उसने लेखा–सारणी के साथ–साथ अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाईनों तथा उपकेन्द्रों के संहिताकरण को भी पुनरीक्षित कर दिया है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उसकी वास्तविक परिसम्पत्तियों के वास्तविक विवरण प्रस्तुत करने चाहिए जैसे ही म.प्र. शासन प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अन्तिम रूप देता है ।

5.1.15 पारेषण कार्यों का वित्त–प्रबंधन

5.1.15.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ऋण द्वारा परिपोषित योजनाओं के विवरण प्रदान करे तथा ये योजनाएं एडीबी से प्राप्त किये गये ऋण के विभिन्न चरणों से जोड़ी जानी चाहिए ।

5.1.15.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

एमपीपीटीसीएल ने विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, जैसे कि, एडीबी, पीएफसी तथा आरईसी से परिपोषित विवरण उसकी निवेश योजना तथा विषयवस्तु संबंधी याचिका में प्रस्तुत किये हैं ।

5.1.15.3 आयोग की अभ्युक्ति :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने योजना में सम्मिलित कार्यों के विवरण के साथ–साथ वित्तीय पोषण व्यवस्था भी प्रस्तुत की है ।

5.1.16 निधि का उपयोग :

5.1.16.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समस्त स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि के उपयोग का सही विवरण, स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रयोजन से तथा कार्यकारी पूंजीगत आवश्यकता की आपूर्ति हेतु, रखा जावे ।

5.1.16.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

एमपीपीटीसीएल द्वारा स्वतंत्र कंपनी के रूप में स्थापना के उपरांत, विभिन्न स्त्रोतों से सृजित परिसम्पत्तियों के अभिलेख उसके द्वारा रखे जा रहे हैं । इनके विवरण सत्यापन याचिका में प्रस्तुत किये गये हैं ।

5.1.16.3 आयोग की अभ्युक्ति :

सत्यापन याचिका कच्चे चिट्ठे (ट्रायल बैलेंस) के आधार पर दर्ज की गई है । कंपनी ने लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र भी प्रस्तुत किये हैं । आयोग द्वारा तद्नुसार निधि के समस्त स्त्रोतों के उपयोग पर विचार कर लिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 08 हेतु पारेषण टैरिफ का अवधारण कर लिया गया है ।

5.1.17 पारेषण क्षमता के अति–उपयोग (Over-utilization)पर अर्थ–दण्ड :

5.1.17.1 दिशा–निर्देश :

अनुज्ञप्तिधारी ने कि किसी खुली पहुंच क्रेता पर उसके द्वारा उसे आवंटित की गई क्षमता से अधिक उपयोग किये जाने पर अर्थ–दण्ड अधिरोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किये जाने का अनुरोध किया है । आयोग प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव से सहमत है, परन्तु वह इस मुद्दे को राज्य ग्रिड संहिता को प्रेषित करना चाहेगा तथा अनुशंसा करेगा कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ग्रिड संहिता में सम्मिलित किये जाने हेतु एक उचित प्रावधान प्रस्तुत करे ।

5.1.17.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

इस विषय पर दिनांक 11.7.06 को सम्पन्न ग्रिड संहिता समीक्षा समिति में चर्चा की गई, जिसके अन्तर्गत समिति द्वारा खुली पहुंच क्रेता द्वारा उसे आवंटित की गई पारेषण प्रणाली क्षमता के अधिक उपयोग किये जाने पर पारेषण प्रभारों का 25 प्रतिशत अर्थ–दण्ड प्रभार अधिरोपित किये जाने की अनुशंसा की है ।

5.1.17.3 आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग में औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्तावित किये जाने पर आयोग द्वारा इस मुद्दे पर गुण–दोषानुसार विचार किया जावेगा ।

5.1.18 अत्यधिक विद्युत कटौती (ट्रिपिंग) पर अर्थदण्ड :

5.1.18.1 दिशा–निर्देश :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे सभी प्रदायकों (फीडर्स) को चिन्हांकित किया जावेगा जो औसत संख्या से अधिक बार विद्युत कटौती (ट्रिपिंग) का अनुभव कर रहे हैं । संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसी घटनाओं के संबंध में सूचित किया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रतिरोधात्मक उपाय किये जाने बाबत कहा जाना चाहिए । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह मुद्दा ग्रिड संहिता समीक्षा समिति में उठाया जाये तथा सहमत संख्या से अधिक विद्युत कटौती (ट्रिपिंग) होने पर अर्थ–दण्ड अधिरोपित किये जाने संबंधी प्रस्ताव दिया जाये ।

5.1.18.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

इस विषय पर दिनांक 11.7.2006 को सम्पन्न ग्रिड संहिता समीक्षा समिति में चर्चा की गई, जिसमें कि समिति द्वारा प्रतिमाह निर्धारित संख्या से अधिक विद्युत कटौती (ट्रिपिंग) होने पर रू. 2000 प्रति ट्रिपिंग अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने की सहमति व्यक्त की गई ।

5.1.18.3 आयोग की अभ्युक्ति :

आयोग में औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्तावित किये जाने पर आयोग द्वारा इस मुद्दे पर गुण–दोषानुसार विचार किया जावेगा ।

5.1.19 लेखांकन प्रकोष्ठ का सुदृढ़ीकरण

5.1.19.1 दिशा–निर्देश :

एमपीपीटीसीएल को उसके लेखांकन संबंधी कृत्यों को उसकी लेखांकन नीतियों को संहिताबद्ध कर तथा प्रशिक्षित लेखांकन विशेषज्ञों की पदस्थापना द्वारा सुदृढ़ किये जाने पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उसकी स्वयं की लेखांकन संहिता इस प्रकार व्यवस्थापित किये जाने की आवश्यकता है कि पारेषण प्रभारों का अवधारण वोल्टेज–वार किया जा सके तथा प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर उपकेन्द्र तथा लाईन से संबंधित प्रचालन की लागत की पृथक से गणना की जा सके ।

5.1.19.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

लेखांकन से संबंधित कृत्यों का सुदृढ़ीकरण संबंधी मुद्दा परामर्शदाता मेसर्स केपीएमजी द्वारा डीएफआईडी चरण–द्वितीय कार्यक्रय के अन्तर्गत हाथ में लिया गया है । मेसर्स केपीएमजी ने उनकी सेवा शर्तों (टर्म्स आफ रेफरेंस) के अन्तर्गत वर्तमान लेखांकन प्रणाली का अध्ययन किया है तथा अत्यावश्यक उचित सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित किया है, जिसका कि अध्ययन तथा समीक्षा की जा रही है ।

इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत, इस मुद्दे से संबंधित स्थाई हल का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें कि ईआरपी तथा ग्रुपवेयर सोल्यूशन सम्मिलित हैं । ईआरपी में मॉडल वित्त तथा लेखे सम्मिलित हैं । वृहद् परियोजना होने के कारण इसमें कुछ और समय लग सकता है ।

कंपनी के संचालक मण्डल की दिनांक 19.6.06 को भोपाल में सम्पन्न 20 वीं बैठक में वित्त तथा लेखा प्रकोष्ठ हेतु 25 अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय निम्न चरणबद्ध विधि से किये जाने का निर्णय लिया गया है :

वित्तीय वर्ष 07 – 10 अधिकारी

वित्तीय वर्ष 08 – 10 अधिकारी

वित्तीय वर्ष 09 – 5 अधिकारी

नवीन नियुक्ति किये जाने संबंधी अनुरोध की स्वीकृति राज्य शासन के पास लंबित है ।

5.1.20 रिक्त पदों को भरा जाना :

5.1.20.1 दिशा–निर्देश :

अनुज्ञप्तिधारी को संस्था की नियमावली तथा ज्ञापन में निर्दिष्टानुसार संचालकों के रिक्त पदों को भरे जाने की सलाह भी दी जाती है तथा पूर्णकालिक संचालक (वित्त) की नियुक्ति की सलाह भी दी जाती है ताकि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेहतर प्रचालन नियंत्रण, पारदर्शिता तथा व्यावसायिक प्रशासन लाया जा सके । आयोग महसूस करता है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा महत्वपूर्ण पारेषण कृत्यों का सम्पादन किये जाने के कारण वित्त के क्षेत्र में उसे व्यावसायिक प्रबंधकों की पूर्णकालिक सेवाओं का लाभ तथा समर्थन मिलना ही चाहिए । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तकनीकी प्रक्रिया तथा दक्षता के तृतीय पक्ष अंकेक्षण के अवसरों का उपयोग करने की संभावना भी खोजी जानी चाहिए ।

5.1.20.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

एमपीपीटीसीएल ने सूचित किया है कि उनके द्वारा कंपनी के संघटन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा वे संचालकों को पदों को भरे जाने की शीघ्र कार्यवाही करेंगे । एक पूर्णकालिक मुख्य वित्तीय अधिकारी पूर्व से ही वित्तीय मामलों की देखरेख हेतु कंपनी में कार्यरत हैं । वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रबंधकों को रखे जाने के प्रयास किये जा रहे हैं । तकनीकी प्रक्रिया तथा दक्षता के तृतीय पक्ष अंकेक्षण के अवसरों का उपयोग करने की संभावना भी खोजी जा रही है।

5.1.20.3 आयोग की अभ्युक्ति :

एमपीपीटीसीएल को संचालकों के पद भरे जाने की प्रक्रिया को और अधिक गति दी जाना होगी । लेखा प्रकोष्ठ में व्यावसायिक लेखा कर्मचारियों की भर्ती में भी विलंब हो चुका है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तकनीकी प्रक्रिया तथा दक्षता का तृतीय पक्ष अंकेक्षण का प्रस्ताव भी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

5.1.21 विभिन्न कार्य प्रणालियों का संहिताकरण (कोडीफिकेशन)

5.1.21.1 दिशा–निर्देश

अनुज्ञप्तिधारी को समस्त वोल्टेज स्तरों पर उपकेन्द्रों तथा लाईनों हेतु आयोजन, निर्माण, संधारण तथा प्रचालन कार्य प्रणालियों को 'संहिताबद्ध' किया जाना चाहिए । अनुज्ञप्तिधारी को इस संबंध में समस्त सुसंगत अभिलेख माह अक्टूबर 2006 तक प्रस्तुत करना होंगे ।

5.1.21.2 एमपीपीटीसीएल द्वारा प्रतिवेदित अनुपालन :

मप्रराविमं द्वारा पूर्व में परामर्शदाताओं से विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर उपकेन्द्रों तथा लाईनों की नियमावली तैयार कराई गई थी । पारेषण संधारण कार्य प्रणाली देश में लगभग एक समान है । अतः, मप्रराविमं ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरीगेशन एण्ड पावर (CBIP) द्वारा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई नियमावलियां अपनाई थीं । इन नियमावलियों का परीक्षण किया जा रहा है तथा एमपीपीटीसीएल हेतु नियमावलियों को विकसित किया जावेगा । इस विषय पर एक प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

5.1.21.3 आयोग की अभ्युक्ति :

एमपीपीटीसीएल द्वारा आयोग को उपरोक्त प्रस्तावित किये गये अनुसार सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप से दिनांक 30.4.2007 तक प्रस्तुत कर देना चाहिये ।

भाग – ब – इस आदेश में आयोग द्वारा जारी किये गये कुछ दिशा–निर्देश

5.2 इस आदेश में आयोग द्वारा कुछ नवीन दिशा–निर्देश जारी किये हैं । इन्हें निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

5.2.1 आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष 07 के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से वसूल की गई राशि का विवरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निर्देशित करता है ।

(पैराग्राफ 3.8)

5.2.2 आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत योजना को दिनांक 23.11.2006 को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रावधिक अनुमोदन कर दिया गया है :

(ए) पूंजी (इक्विटी) पर प्रतिलाभ, ब्याज लागत तथा अवमूल्यन पर पूंजी निवेश के प्रभाव पर सत्यापन करते समय विचार किया जावेगा जिस समय अनुज्ञप्तिधारी उसके वित्तीय वर्ष 06–07 के अंकेक्षित वित्तीय लेखे प्रस्तुत करेगा ।

(बी) अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रत्येक छः माह उपरांत (प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिनांक 20 अक्टूबर तथा 20 अप्रैल तक) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निष्पादित प्रत्येक कार्य के संबंध में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति के बारे में सूचित करेगा ।

(सी) अनुज्ञप्तिधारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिनांक 20 अप्रैल तक पूर्व वर्ष में उसके द्वारा किये गये निवेश का औचित्य, राज्य पारेषण प्रणाली में उसके वोल्टेज परिदृश्य तथा भारण शर्तों में हुए सुधार को दर्शाते हुए, प्रस्तुत करना होगा ।

(डी) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव अथवा नवीन परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु, समस्त सक्षम विकल्पों के आर्थिक, तकनीकी, प्रणाली तथा पर्यावरणीय पहलुओं का, ऐसी आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु परीक्षण किया जावेगा ।

(ई) अनुज्ञप्तिधारी कथित वित्तीय वर्ष में पूंजी निवेश कथित निवेश योजना के अनुसार करेगा । तथापि, यदि किन्हीं अनवेक्षित आकस्मिकताओं के कारण वार्षिक निवेश योजना में सूचीबद्ध की गई योजनाओं में निधि का पुर्नावंटन किया जाना आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी आयोग को निम्न के संबंध में उसके अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन में सूचित करेगा :

(i) वार्षिक निवेश योजना के अन्तर्गत सम्मिलित समस्त कार्यों की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां ।

(ii) वार्षिक निवेश योजना में सूचीबद्ध की गई योजनाओं हेतु धनराशि का पुर्न–आवंटन, यदि इसे किया जाना आवश्यक हो ।

(iii) उन कार्यों का विवरण, जिन्हें कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विचाराधीन प्रतिवेदन अवधि में प्रारंभ नहीं किया गया है ।

(एफ) अनुज्ञप्तिधारी आगामी वित्तीय वर्ष हेतु, वार्षिक निवेश योजना के सम्पूर्ण कार्यवार तथा योजनावार विवरण दिनांक 1 जुलाई, 2007 तक आयोग द्वारा निर्धारित 'केपेक्स' दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करेगा।

(पैराग्राफ 3.25)

5.2.3 जैसे ही म.प्र. शासन प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अन्तिम करता है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को विस्तृत विवरणों/अन्तरों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं ताकि अवधारित टैरिफ के पुनरीक्षण में इनका समावेश किया जा सके जो कि लागत के परिमितव्ययी होने के अध्यधीन होगा ।

(पैराग्राफ 4.7)

5.2.4 आयोग अंकेक्षित लेखे के अनुसार फिलहाल अवमूल्यन की सम्पूर्ण राशि, अर्थात् रू. 77.84 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करता है । तथापि, याचिकाकर्ता को भविष्य में सम्पूर्ण गणनाओं के साथ उनके दावे के सत्यापन हेतु तैयार रहने के निर्देश दिये जाते हैं ।

(पैराग्राफ 4.23)

5.2.5 अंकेक्षित लेखे के साथ संलग्न अवमूल्यन तालिका के अवलोकन पर यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लेखांकन संहिताओं का नवीन ढांचा अपनाया गया है । याचिकाकर्ता को किये गये परिवर्तनों के संबंध में, ऐसे नवीन लेखांकन संहिता ढांचे की सम्पूर्ण सूची, पूर्ण विवरण दर्शाते हुए, आयोग को प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं ।

(पैराग्राफ 4.24)

5.2.6 एक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण प्रभारों के अवधारण हेतु निर्धारित शुल्क, आगामी वर्ष में संव्यवहारित की जाने वाली प्रस्तावित ऊर्जा मात्रा हेतु, रू. 300 प्रति मिलियन यूनिट है । तद्नुसार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने शुल्क की गणना निम्नानुसार की है :

वित्तीय वर्ष 08 के दौरान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आकलित संव्यवहारित किये जाने वाले यूनिटों की मात्रा – 33186 मिलियन यूनिट ।

तद्नुसार शुल्क की गणना रू. 300 x 33186 = रू. 99,55,800.00 की गई है, जिसे कि आयोग कार्यालय में जमा कराया जा चुका है ।

विषय–वस्तु से संबंधित याचिका में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने आकलित किया है कि वह वित्तीय वर्ष 08 में 41808 मिलियन यूनिट संव्यवहारित किये जाने की स्थिति में होगा । (देखे तालिका–10 : वार्षिक पारेषण हानियां) तद्नुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रू. 1,25,42,200.00 का शुल्क जमा किया जाना चाहिए था । तद्नुसार, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को रू. 25,86,600 की अवशेष राशि जमा किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

भाग स – एमपीपीटीसीएल की याचिका पर ली गई आपत्तियां तथा टीपें :

5.3 आयोग द्वारा एमपीपीटीसीएल से प्राप्त प्रस्ताव का विस्तृत प्रचार–प्रसार किया था तथा हितधारकों को उनकी टीप/आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया था । आयोग द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के प्रत्युत्तर में, म.प्र. विद्युत उपभोक्ता सोसाईटी, इन्दौर द्वारा उनकी टीप/आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं । प्रतिवादी द्वारा ली गई आपत्तियां, याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया उत्तर तथा आयोग का दृष्टिकोण, निम्नानुसार दिये गये हैं :

5.3.1 आपत्ति/टीप :

कोई भी एकल अंकेक्षित लेखा तैयार नहीं किया गया है । कंपनी के गठन के उपरांत, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाऊटेंटों) की नियुक्त की जानी चाहिए जिनके द्वारा लेखे का अंकेक्षण किया जाना चाहिए । मप्र राज्य सरकार ने अभी तक कंपनी को अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र प्रदान नहीं किया है तथा इस प्रकार दोनों, कंपनी तथा उपभोक्ता हानि उठा रहे हैं । एक ओर कंपनी न्यायोचित प्रभारों को वसूल करने में असमर्थ है तथा दूसरी ओर उपभोक्ता भी सुनिश्चित नहीं है कि उसे कितने अतिरिक्त टैरिफ प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

एमपीपीटीएल की टीप :

दिनांक 01.06.2005 से 31.03.2006 की अवधि हेतु, अर्थात्, कंपनी के प्रथम वर्ष के स्वतंत्र रूप से कार्यकरण के दौरान, लेखे तैयार किये जा चुके हैं तथा इनका अंकेक्षण प्रगति पर है । जैसे ही कंपनी को इसकी प्राप्ति हो जाती है, आयोग को अंकेक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा । प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र के संबंध में, एमपीपीटीएल ने निवेदन किया है कि राज्य शासन अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया में है । म.प्र. शासन द्वारा अन्तिम प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अधिसूचित किये जाने पर टैरिफ दरों तथा लेखे को अन्तिम रूप से व्यवस्थापित कर दिया जावेगा ।

आयोग का दृष्टिकोण :

सत्यापन अभ्यास लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्रों पर निर्भर करता है । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अब लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं । आयोग द्वारा लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्रों पर विचार कर लिया गया है तथा तद्नुसार वित्तीय वर्ष 06 हेतु पारेषण टैरिफ का सत्यापन कर लिया गया है तथा वित्तीय वर्ष 08 के पारेषण टैरिफ पर प्रभाव की गणना कर ली गई है । म.प्र. शासन द्वारा जारी प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र अभी तक प्रावधिक ही है । जब भी प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र को अन्तिम किया जाता है, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को पुनरीक्षित प्रक्षेपित आंकड़े दाखिल करने होंगे ।

5.3.2 आपत्ति/टीप :

टैरिफ याचिका टैरिफ अवधारण विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों को पुनः निर्धारित किये जाने संबंधी अभ्यास हो नहीं सकता है तथा आयोग एक ऐसी विधि पर निर्णय ले जिसके माध्यम से विनियमों में संशोधन लाया जा सके ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

एमपीपीटीसीएल ने प्रत्युत्तर में कहा है कि उसके द्वारा विनियमों में उल्लेखित प्रचालन तथा संधारण मानदण्डों को निर्धारित किये जाने की कार्य–विधि में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध नहीं किया गया है । उसने तो केवल मप्रराविमं के विघटन होने पर बनाई गई कंपनियों में प्रयोज्य वेतन पुनरीक्षण पर विचार किये जाने के कारण तथा टैरिफ अवधि के ठीक के पूर्व वर्षों पर आधारित प्रचालन तथा संधारण मानदण्डों के मान निर्धारित किये जाने संबंधी गणनाएं ही प्रस्तुत की हैं । आवेदक प्रारंभ से ही आयोग को अनुरोध करता रहा है कि प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड पूर्व के वर्षों पर, अर्थात्, वर्ष 2001 से आगे के वर्षों पर ही आधारित नही किये जाने चाहिए क्योंकि उस समय के व्ययों की वर्तमान वर्षों में एमपीपीटीसीएल की प्रचालन तथा संधारण आवश्यकताओं से किसी भी रूप से तुलना नहीं की जा सकती । यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि एमपीपीटीसीएल हेतु निर्धारित प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड मा. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा इसी प्रकार की लाईनों तथा बे–संख्या हेतु निर्धारित मानदण्डों का लगभग एक–तिहाई है ।

आयोग का दृष्टिकोण :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालन तथा संधारण मानदण्डों के अवधारण में प्रयोग किये गये आधार का पुनरीक्षण चाहा गया है, क्योंकि प्रचालन एवं संधारण के आंकड़े कच्चे चिट्ठे तथा लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्रों में भी उपलब्ध हैं । आयोग द्वारा पूर्व में ही वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 की टैरिफ अवधि हेतु प्रचालन तथा संधारण मानदण्ड निर्धारित कर दिये गये थे तथा तद्नुसार उसके द्वारा प्रचालन तथा संधारण व्ययों का अवधारण किया था । आयोग, प्रचालन तथा संधारण व्ययों के सत्यापन पर विचार लेखे के अंकेक्षित विवरण–पत्रों के आधार पर करेगा जबकि भविष्य में इन्हें आयोग के समक्ष किसी अनियंत्रण–योग्य व्ययों हेतु दाखिल किया जावेगा ।

5.3.3 आपत्ति/टीप :

याचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रमुख समस्या ऋणों को परिसम्पत्तियों से संबद्ध किये जाने के कारण है । कंपनियों को विकलित भार की मात्रा जो कि परिसम्पत्तियों से संबद्ध नहीं है, काफी अधिक है ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

राज्य शासन ने कंपनियों को ऋणों तथा अन्य दायित्वों का अन्तरण परिसम्पत्तियों के मूल्य के बराबर किया है । ये परिसम्पत्तियां भौतिक रूप से अस्तित्व में हैं । कई राज्यों में नियामकों द्वारा व्यावहारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा प्रारंभिक आय–व्यय विवरण–पत्र में प्रकट किये गये ऋणों को स्वीकार कर लिया गया है तथा व्यावहारिक कठिनाई के कारण विशिष्ट परिसम्पत्तियों से इनकी संबद्धता

किये जाने हेतु आग्रह नहीं किया गया है । एमपीपीटीसीएल जैसी गठित की गई नवीन कंपनी का मुख्य हित इसी में है कि उसे अन्तरित की गई परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों में परस्पर संतुलन हो । इसे एमपीपीटीसीएल द्वारा सुनिश्चित किया गया है ।

आयोग का दृष्टिकोण :

आयोग ने इस बारे में इसके वित्तीय वर्ष 06 तथा वित्तीय वर्ष 07 से वित्तीय वर्ष 09 के पारेषण टैरिफ आदेश में अपनी स्थिति सुस्पष्ट कर दी है तथा उन सेवाकृत किये जाने बाबत ऋणों पर विचार नहीं किया है जिन हेतु परिसम्पत्तियां चिन्हांकित नहीं की गई हैं ।

5.3.4 आपत्ति/टीप :

ऋणों की अदायगी को, अनुज्ञेय किये जा रहे उच्चतर अवमूल्यन द्वारा अथवा अदायगी हेतु, अतिरिक्त ऋणों की प्राप्ति द्वारा निपटान किया जाना है ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

एमपीपीटीसीएल एसोसियेशन द्वारा दिये गये सुझावों से अपनी सहमति व्यक्त करता है । वर्तमान में अवमूल्यन दरें परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन से संबद्ध हैं जो कि पारेषण परिसम्पत्तियों के प्रकरण में 25 से 35 वर्ष हैं । ऋण अदायगी की अवधि 10 से 15 वर्षों की होती है । इसके कारण ऋण के मूलधन की राशि की अदायगी के समयबद्ध भुगतान हेतु अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम अथवा वैकल्पिक रूप से उच्चतर अवमूल्यन पर दर, जैसा कि एसोसियेशन द्वारा सुझाया गया है, की आवश्यकता होती है ।

आयोग का दृष्टिकोण :

राष्ट्रीय टैरिफ नीति में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम के माध्यम से ऋण अदायगी किये जाने की सहमति व्यक्त नहीं की गई है । आयोग अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम संबंधी प्रावधान पर विचार करेगा जब कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग किये गये ऋणों तथा इन ऋणों की अदायगी अनुसूची के विवरण उपलब्ध करा दिये जाते हैं ।

5.3.5 आपत्ति/टीप :

आयोग को कार्य समापन प्रतिवेदन ब्याज के पूंजीकरण तथा प्रचालन एवं संधारण व्यय के पूंजीकरण के संबंध में विनियम तथा दिशा–निर्देश जारी करने चाहिए । इसके द्वारा अनिश्चिताओं के निराकरण में सहायता मिलेगी ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

आयोग द्वारा इस संबंध में दिशा–निर्देशों का ढांचा तैयार किया जा चुका है । तद्नुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने आयोग के समक्ष अपनी दीर्घ–अवधि निवेश योजना, प्रस्तुत की है ।

आयोग का दृष्टिकोण :

आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये पूंजीगत व्यय के संबंध में पूर्व में ही दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं ।

5.3.6 आपत्ति/टीप

पारेषण हानि का 5.23 प्रतिशत आंकड़ा काफी अधिक है । मप्रविनिआ द्वारा केवल 4.85 प्रतिशत ही अनुज्ञेय किया गया है । महाराष्ट्र राज्य के मुकाबले में म.प्र. की लाईनें कम भारित होने के कारण, यह आंकड़ा 4 प्रतिशत के आसपास होना चाहिये, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में जबकि एडीबी कार्यक्रम के अन्तर्गत उल्लेखनीय सशक्तिकरण किया जा चुका है । अन्य राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध कराये जायें ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

एमपीपीटीसीएल ने इसके गठन किये जाने की अवधि से ही, अर्थात् जब कंपनी द्वारा मप्रराविमं के अभिकर्ता (एजेन्ट) के रूप में कार्य किया जाना प्रारंभ किया गया, पारेषण हानियां कम किये जाने संबंधी उपाय किये गये हैं । वित्तीय वर्ष 06 में ये हानियां स्थिर गति से लगभग 7 प्रतिशत से घटकर 5.23 प्रतिशत हो गई हैं । वित्तीय वर्ष 06 में आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्ड 5.22 प्रतिशत के परिपेक्ष्य में ये दरें तुलनात्मक हैं । कंपनी ने निम्न दर्शायेनुसार आगे हानियां कम किया जाना प्रस्तावित किया है :

i) वर्ष 2002 – 03 – 7.93 प्रतिशत

ii) वर्ष 2003 – 04 – 6.12 प्रतिशत

iii) वर्ष 2004 – 05 – 5.62 प्रतिशत

iv) वर्ष 2005 – 06 – 5.23 प्रतिशत

v) वर्ष 2006 – 07 – 5.00 प्रतिशत

vi) वर्ष 2007 – 08 – 4.9 प्रतिशत

vii) वर्ष 2008 – 09 – 4.9 प्रतिशत

एमपीपीटीसीएल की हानि आंकड़ों की तुलना अन्य उपयोगिताओं के साथ करते समय, निम्न कारकों पर विचार किया जाना चाहिए :

(i) मध्यप्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल तथा अन्य राज्यों के मुकाबले में विद्युत भार का परिदृश्य ।

(ii) पारेषण हानियों से पृथक रूपान्तरण (ट्रांसफामेशन) हानियां दर्शाये जाने की पद्धति । एमपीपीटीसीएल की पारेषण हानि आंकड़ों में रूपान्तरण हानियां भी सम्मिलित होती हैं ।

आयोग का दृष्टिकोण :

आयोग की भी एमपीपीटीसीएल की पारेषण हानि स्तर को लेकर अभिरूचि है । आयोग इस तथ्य को मान्य करता है कि पारेषण हानियों में आगे और अधिक कमी किये जाने के लिये काफी अधिक नियोजन किये जाने की आवश्यकता होगी । उसकी प्रथम अभिरूचि ग्रिड संहिता शर्तों के निष्पादित किये जाने में है जिस हेतु पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय व्यवस्था हेतु गठबन्धन किया गया है ।

5.3.7 आपत्ति/टीप :

5.3.7 पृष्ठ 49 पर दर्शाई गई वार्षिक स्थाई शुल्क लागत, रू. 2602.40 प्रति मेगावाट प्रति दिवस काफी अधिक है । अन्य राज्यों तथा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है । इसे भी स्पष्ट किया जावे कि वर्ष 2008–09 के आंकड़े में काफी अधिक गिरावट कैसे आ गई ?

एमपीपीटीसीएल की टीप :

अन्य राज्यों की तुलना में, मध्यप्रदेश राज्य में पारेषण प्रभार उच्चतर स्तर पर एमपीपीटीसीएल की वार्षिक स्थाई लागत तथा पारेषण प्रभारों की गणना में विशेष कारक, अर्थात ''समस्त कंपनियों की टर्मिनल प्रसुविधाएं'' पारेषण टैरिफ को प्रभारणीय होने के कारण है । यह आवश्यकता कुल पारेषण लागत का लगभग एक–तिहाई है जो कि चालू आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु है । फिर भी एमपीपीटीसीएल के पारेषण प्रभार प्रमुख पारेषण इकाईयों से कम हैं जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

सरल क्रमांक	राज्य	2005-06	2006-07
1	केपीटीसीएल	2964	2664
2	जीईटीसीओ	2762	2832
3	एपी ट्रांसको	2055	1744
4	आरवीपीएन	2835	NA
5	एमपीपीटीसीएल	2276*	2729*
* म.प्र. विनिआ के टैरिफ आदेशानुसार.			

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि यदि वितरण कंपनियों तथा 'जनको' की पेंशन राशि को सम्मिलित न किया जावे तो एमपीटीसीएल के पारेषण प्रभार अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम होंगे । यदि टर्मिनल प्रसुविधा को भारित किया जाता है तो वित्तीय वर्ष 06 हेतु सत्यापन याचिका में पारेषण प्रभार रू. 2602.40/मेगावाट/प्रति दिवस प्रस्तावित हैं जो कि अन्य राज्यों से तुलना योग्य हैं । वित्तीय वर्ष 08–09 में पारेषण प्रभारों में काफी अधिक गिरावट के संबंध में उल्लेख किया जाता है कि पारेषण प्रभारों की गणना वार्षिक स्थाई लागत के पारेषण क्षमता के विभाजन द्वारा की जाती है । पारेषण क्षमता का अवधारण केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की परिभाषा के अनुसार किया जाता है जैसा कि इसे मप्रविनिआ द्वारा भी अपना लिया गया है ।

सत्यापन याचिका के पृष्ठ 49 में उल्लेखित आंकड़े काफी अधिक गिरावट को प्रदर्शित नहीं करते । आंकड़े निम्नानुसार उद्धरित किये जाते हैं :

सरल क्रमांक	वर्ष	पारेषण प्रभार रूपये/मेगावाट/दिवस
i.	2005-06	2602.04
ii.	2006-07	3424.27
iii.	2007-08	3318.24
iv.	2008-09	3401.02

वर्ष 2007–08 के आंकड़े वर्ष 2006–07 के आंकड़ों से पारेषण क्षमता में उच्चतर वृद्धि के कारण कुछ कम ही हैं ।

आयोग का दृष्टिकोण :

आयोग द्वारा पारेषण टैरिफ का अवधारण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के समस्त न्यायोचित व्ययों पर विचार करते हुए पारेषण टैरिफ विनियमों के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है ।

5.3.8 आपत्ति/टीप

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका में उपभोक्ताओं हेतु दृष्टिकोण सम्मिलित होना चाहिये । अन्य के अतिरिक्त दृष्टिकोण में निम्न बिन्दु का भी समावेश होना चाहिये :

(i) प्रौद्योगिकी संविलियन व अनुसंधान तथा विकास हेतु प्रस्ताव

एमपीपीटीसीएल की टीप :

चूंकि यह एक सत्यापन याचिका है, अतः इसमें उपरोक्त दर्शाये गये क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन नहीं दर्शाया गया है । इन्हें आयोग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 06 से वित्तीय वर्ष 09 हेतु कंपनी की व्यवसाय योजना में वर्णित किया गया है । इनमें से कुछ क्षेत्रों का निम्नानुसार उल्लेख किया जाता है :

i) पुराने रिलेज को संख्या–वाचक रिलेज द्वारा बदला जाना ।

ii) चलित डिजिटल तीन फेज ऑफ लाईन शिरोपरि पारेषण लाईन दोष विश्लेषणात्मक प्रणाली (Portable Digital three phase off line overhead transmission line fault analyser system) का प्रयोग ।

(iii) छिद्रित संवाहक खोजी (पंकचर्ड इन्सूलेटर डिटेक्टर्स) ।

(iv) कमजोर जोड़ों तथा अन्य त्रुटियों की खोज हेतु सूक्ष्म चौड़े लैंस वाले थर्मोविजन उपकरण का प्रयोग (Use of wide lens thermovision equipments for scanning weak joints & other defects) ।

(v) लीकेज करंट मानिटर्स के उपयोग द्वारा सर्ज अरेस्टर्स में लीकेज करंट का अनुवीक्षण करना ।

(vi) अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाईनों के संधारण हेतु हॉट लाईन उपकरणों तथा 'बेयर हैंड' तकनीक का प्रयोग ।

(vii) अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मरों की आन्तरिक समस्याओं को खोजे जाने हेतु प्रेसीजन (सूक्ष्म) ट्रांसफार्मर बाईंडिंग रेसिस्टेंस मेजरिंग किट ।

आयोग का दृष्टिकोण :

आयोग याचिकाकर्ता के विचारों से सहमत है ।

5.3.9 आपत्ति/टीप :

कंपनी को विश्व मानकों तक पहुंचाये जाने हेतु उठाये जा रहे कदमों का उल्लेख किया जावे। (राष्ट्रीय विद्युत नीति के परिपेक्ष्य में) ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

एमपीपीटीसीएल द्वारा आगामी वर्षों में महत्वाकांक्षी पारेषण योजना को पूर्ण किये जाने हेतु सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं । पारेषण योजना में सम्मिलित कार्यों के पूर्ण हो जाने पर, कंपनी द्वारा विश्व स्तरीय मानकों को प्राप्त किये जाने की संभावना है । तथापि, कंपनी के अनुपालन की अन्य इसी प्रकार की इकाईयों के साथ तुलना की जा सकती है । कंपनी के प्रदर्शन ने अर्न्तराष्ट्रीय प्रशंसा भी प्राप्त की है । ''एशियन पावर'' जो कि एसोसियेशन ऑफ इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई इण्डस्ट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया एण्ड वेस्टर्न पेसिफिक (एईएसआईईपीए) की आधिकारिक पत्रिका है, द्वारा भी इस कंपनी को दो बहुचर्चित पुरस्कारों से सम्मानित किया है, जो कि (i) यूटिलिटी ऑफ दी ईयर, 2006 तथा (ii) टी एण्ड डी प्रोजेक्ट ऑफ दी ईयर, हैं ।

आयोग का दृष्टिकोण :

आयोग याचिकाकर्ता के विचारों से सहमति व्यक्त करता है ।

5.3.10 आपत्ति/टीप

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निजीकरण को प्रारंभ किये जाने हेतु उठाये जाने वाले उचित कदमों का प्रकाशन किया जावे ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

निजीकरण को निम्न द्वारा बढ़ावा मिलता है :

(i) पारेषण प्रणाली में खुली पहुंच को प्रस्तुत करना ।

(ii) अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उप–केन्द्रों में बाह्य स्त्रोतों द्वारा प्रचालन तथा संधारण करना ।

आयोग का दृष्टिकोण :

आयोग एमपीपीटीसीएल की टिप्पणी से सहमति व्यक्त करता है ।

5.3.11 आपत्ति/टीप :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुसन (SUSAN) सुपर थर्मल पावर स्टेशनों से, जिन्हें वर्तमान में पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को आवंटित किया गया है, की निकासी प्रणाली से संस्थापित किये जाने के अवसर का उपयोग क्यों नहीं किया गया है ?

एमपीपीटीसीएल की टीप :

चूंकि सुसन परियोजना एक अर्न्तराज्यीय परियोजना है अतः निकासी प्रणाली को पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा हाथ में लिया जा रहा है । यह स्पष्ट रूप से सीमांकन किया गया है कि अर्न्तराज्यीय परियोजना का कार्य केन्द्रीय पारेषण इकाई द्वारा हाथ में लिया जावेगा जबकि राज्यांतरिक परियोजना का कार्य राज्य पारेषण इकाई द्वारा किया जावेगा ।

आयोग का दृष्टिकोण :

आयोग ट्रांसको की टीप से सहमत है, परन्तु उसे ऐसी परियोजनाओं हेतु बोली लगाये जाने की संभावनाओं का भी पता लगाना चाहिये ।

5.3.12 आपत्ति/टीप :

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपकेन्द्रों के स्वचालन तथा कार्यालयों में कागज–रहित कार्य संचालन प्रारंभ किया जावे ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

एमपीपीटीसीएल द्वारा पूर्व में ही उपकेन्द्रों में स्वचालन तथा पथ–प्रदर्शक (पाइलट) परियोजना मनसाकरा उप–केन्द्र में पूर्ण की जा चुकी है जिसे कि सुदूर नियंत्रण द्वारा संचालित किया जा सकता है । जहां तक कागज–रहित कार्य संचालन का प्रश्न है, एमपीपीटीएल परामर्शी डीएफआईडी चरण द्वितीय के परामर्शदाताओं की सहायता से एक एन्टरप्राईसिज रिसोर्सिज प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली विकसित कर रहा है जो कि कार्यालयों में कागजरहित कार्य संचालन की दिशा में एक कदम है ।

आयोग का दृष्टिकोण :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को इस सबंध में दिनांक 30.4.2007 तक एक औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।

5.3.13 आपत्ति/टीप :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को मानव संसाधन विकास की दीर्घ–अवधि नीतियों की योजनाएं तैयार करनी चाहिये ।

एमपीपीटीसीएल की टीप :

एमपीपीटीसीएल द्वारा डीएफआईडी चरण द्वितीय में परामर्शदाताओं की सहायता से मानव संसाधन विकास की दीर्घ–अवधि नीतियों तथा योजनाओं को तैयार करने, जिन्हें कि आगामी वर्ष में क्रियान्वित किया जावेगा, हेतु सहायता ली गई है ।

आयोग का दृष्टिकोण :

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को इस सबंध में दिनांक 30.4.2007 तक एक औपचारिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ।